[2018] 7 एस. सी. आर 1191

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई

वी.

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस।

(2007 की सिविल अपील सं. 3327)

30 जुलाई, 2018

[रंजन गोगोई, एन. वी. रमना, आर. भानुमती,

मोहन एम. शांतनागौदर और

एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

कर/कराधान:

छूट अधिसूचना-की व्याख्या-ऐसी अधिसूचना में अस्पष्टता के मामले में, क्या अस्पष्टता का लाभ

निर्धारिती या राजस्व के पास जाएगा-आयोजित: छूट अधिसूचना की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए-छूट अधिसूचना की प्रयोज्यता को साबित करने का बोझ निर्धारिती पर होगा-अस्पष्टता के मामले में, इस तरह की अस्पष्टता का लाभ राजस्व को जाएगा न कि निर्धारिती को-* सन एक्सपोर्ट मामला जिसमें यह माना गया था कि अस्पष्टता का लाभ निर्धारिती को जाएगा, खारिज कर दिया जाता है। कराधान कानून और छूट अधिसूचना-की व्याख्या-आयोजित: शुल्क प्रावधान की व्याख्या करने में अंतर है

एक कराधान कानून और छूट अधिसूचना की व्याख्या में-प्रभार प्रावधान में कोई भी अस्पष्टता निर्धारिती के लाभ को सुनिश्चित करती है, लेकिन छूट खंड या छूट अधिसूचना में कोई भी अस्पष्टता राजस्व के पक्ष में जाएगी।

क़ानूनों की व्याख्या:

व्याख्या के सामान्य सिद्धांत-उद्देश्य

व्याख्या के उपकरण-चर्चा की गई।

राजकोषीय कानूनों की व्याख्या-आयोजित: राजकोषीय कानूनों की व्याख्या करते समय अदालत को व्याख्या के सख्त नियम लागू करने होते हैं।

' व्याख्या का सादा अर्थ वाला नियम-आयोजित: जब कानून में भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध होती है, तो न्यायालय को मुहर लगानी होती है और सादा भाषा को इस तरह से समझें, और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है

व्याख्या।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

' सख्त व्याख्या 'और' शाब्दिक व्याख्या '-के बीच अंतर-आयोजित: शाब्दिक व्याख्या के सभी मामलों में शामिल होंगे

व्याख्या का सख्त नियम, लेकिन सख्त नियम आवश्यक रूप से पूर्व को शामिल नहीं कर सकता है, विशेष रूप से कराधान के क्षेत्र में इस प्रकार सख्त व्याख्या में सख्त शाब्दिकता शामिल नहीं है। कराधान कानून की व्याख्या-व्याख्या का नियम-आयोजित: शुल्क, गणना और छूट सहित प्रत्येक कर कानून

खंड (सीमा स्तर पर) की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए।

कर लगाने वाले कानूनों की प्रासंगिक या उद्देश्यपूर्ण व्याख्या-आयोजित की गई: एक कराधान कानून में किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है-कराधान कानूनों में प्रासंगिक या उद्देश्यपूर्ण व्याख्या लागू नहीं की जा सकती है-न ही अन्य सहायक सामग्री को देखने के लिए कोई सहारा बनाया जा सकता है-कर कानून की व्याख्या करने में समानता का कोई स्थान नहीं है।

निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 संसद/विधानमंडल का एक अधिनियम सभी प्रकार की स्थितियों और सभी प्रकार के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। यह इसके लिए है यह देखने के लिए कि क्या कोई विशेष मामला व्यापक दायरे में आता है

विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित विधि के सिद्धांत। यहाँ, क़ानूनों की व्याख्या के सिद्धांत काम आते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि क्षेत्र के विशेषज्ञ अधिनियमों और नियमों का मसौदा तैयार करने में सहायता करते हैं, ऐसे कई अवसर हैं जहां उपयोग की गई भाषा और क़ानून में उपयोग किए गए वाक्यांश सही नहीं हैं। इसलिए, न्यायाधीशों और न्यायालयों को शब्दों की व्याख्या करने की आवश्यकता है। [पैरा 14] [1206-डी, ई]

1.2 व्याख्या के सिद्धांत सामान्य कानून में विकसित किए गए हैं। यह भी उचित के लिए अभ्यास किया गया है

व्याख्या अधिनियमों या सामान्य खंडों को लागू करने के लिए विधायी निकाय एक्ट करें। संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी अधिनियमों और विनियमों में, सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित शब्दों और वाक्यांशों और सामान्य खंड अधिनियम में निर्धारित व्याख्या के सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि किसी सांविधिक कानून की व्याख्या करते समय, किसी अधिनियम में उपयोग किए गए किसी शब्द या वाक्यांश या खंड को दिए जाने वाले अर्थ के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है और ऐसा शब्द, वाक्यांश या खंड विशेष रूप से परिभाषित नहीं है, तो सामान्य खंड अधिनियम पर वापस आना वैध और वास्तव में अनिवार्य है।

इसके बावजूद, जब ग्राहक आयुक्त (आयात) होता है, तो मुंबई v. एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस।

के बीच विषय या संदर्भ के रूप में घृणा या संघर्ष

सामान्य खंड अधिनियम और एक वैधानिक प्रावधान जो व्याख्या के लिए आता है, न्यायालय को अनिवार्य रूप से क़ानून के प्रावधानों का उल्लेख करना चाहिए। [पैरा 15] [1206-एफ-एच] 1.3 व्याख्या का उद्देश्य अनिवार्य रूप से विधानमंडल के इरादे को जानना है। क्या विधानमंडल का किसी मामले में कानून को लागू करने का इरादा है; क्या विधानमंडल का किसी मामले में कानून के संचालन को बाहर करने का इरादा है; क्या विधानमंडल का इरादा कानून को लागू करने के लिए प्राधिकरण को या न्यायनिर्णायक एजेंसी को विवेकाधिकार देना है, ये अनिवार्य रूप से ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर केवल कानून के इरादे को जानकर ही मांगे जा सकते हैं। क़ानूनों की व्याख्या के सामान्य सिद्धांतों के अलावा, कुछ आंतरिक सहायक और बाहरी सहायक हैं जो क़ानूनों की व्याख्या करने के लिए उपकरण हैं। लंबा शीर्षक, प्रस्तावना, शीर्षक, सीमांत नोट, विराम चिह्न, चित्र, परिभाषा या शब्दकोश खंड, किसी धारा के लिए एक प्रावधान, स्पष्टीकरण, उदाहरण, अधिनियम की एक अनुसूची आदि निर्माण के लिए आंतरिक सहायक हैं। निर्माण के लिए बाहरी सहायक संसदीय बहस, इतिहास हैं।

कानून के लिए अग्रणी, अन्य क़ानून जिनके पास एक असर, शब्दकोश, थीसोरस है। [पारस 16 और 17] [1207-ए-सी]

1.4 एक कानून का अर्थ विधानमंडल के इरादे के अनुसार किया जाना चाहिए और न्यायालयों को सही पर कार्य करना चाहिए।

कानून को लागू करते समय और कानून की व्याख्या करते समय कानून का इरादा। यदि कोई वैधानिक प्रावधान एक से अधिक अर्थों के लिए खुला है, तो न्यायालय को उस व्याख्या का चयन करना होगा जो विधानमंडल के इरादे का प्रतिनिधित्व करती है। [पैरा 18] [1207-एफ]

जिला खनन अधिकारी बनाम। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, (2001) 7 एस. सी. सी. 358: [2001] 1 पूरक। एससीआर 147

पर भरोसा किया।

1.5 अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत यह है कि जब किसी कानून में शब्द स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट होते हैं और केवल एक ही अर्थ होता है

यह अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यायालय परिणाम की परवाह किए बिना उक्त अर्थ को लागू करने के लिए बाध्य हैं। अगर शब्दों में

कानून स्पष्ट और असंदिग्ध हैं, उन शब्दों को उनके स्वाभाविक और सामान्य अर्थों में व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है। उपयोग किए गए शब्द विधानमंडल के इरादे की घोषणा करते हैं। [पैरा 19]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कनई लाल सूर बनाम। परमनिधि सधुखान, आकाशवाणी 1957

एससी 907 [1958] एससीआर 360-पर निर्भर था।

1.6 सादा अर्थ के नियम को लागू करने में कोई भी कठिनाई और असुविधा अर्थ को बदलने का आधार नहीं हो सकती है।

विधान द्वारा प्रयुक्त भाषा। यह विशेष रूप से राजकोषीय कानूनों और दंडात्मक कानूनों में होता है। फिर भी, यदि सादा भाषा बेतुकी होती है, तो न्यायालय को उस संदर्भ में शब्द का अर्थ निर्धारित करने का अधिकार है जिसमें इसका उपयोग विधायी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इतना ही नहीं, यदि सादा निर्माण विसंगति और बेतुकेपन की ओर ले जाता है, तो अदालत इस तरह के निर्माण से होने वाली कठिनाइयों और परिणामों को ध्यान में रखते हुए

प्रावधान कानून के सही इरादे की व्याख्या भी कर सकता है। [पैरा 20] [1208-जी; 1209-ए]

सहायक आयुक्त, गडग उप-मंडल, गडग बनाम। माथापति बसवन्नेवा, (1995) 6 एस. सी. सी. 355:

[1995] 2 पूरक। एससीआर 807-पर निर्भर।

1.7 दंडात्मक कानूनों और कराधान कानूनों के अर्थ में, न्यायालय को व्याख्या के सख्त नियम लागू करने होते हैं। अनुच्छेद 265

संविधान राज्य को कानून के अधिकार के बिना नागरिकों से कर निकालने से रोकता है। यह स्वयंसिद्ध है कि कराधान

कुछ व्यक्तियों/कुछ परिस्थितियों में कुछ उद्देश्यों को उन लोगों को शामिल करने के लिए विस्तारित/व्याख्या नहीं की जा सकती है, जो विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत नहीं थे। [पैरा 21] [1209-बी-डी] 1.8 ' 'सादा अर्थ नियम' से पता चलता है कि जब क़ानून की भाषा सादा और असंदिग्ध होती है, तो न्यायालय को सादा भाषा को पढ़ना और समझना पड़ता है, और किसी भी व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यह हितकारी उक्ति बहती है

वाक्यांश "कम इनवर्बिस नुल्ला एम्बिगुइटास एस्ट, नॉन डेबेट एड्मिटी स्वैच्छिक क्वेस्टियो"। इस तरह के सिद्धांत का पालन करते हुए, अदालतों ने कभी-कभी सरल अर्थ नियम के अधीन सख्त व्याख्या की है, हालांकि सटीक अर्थ में सख्त व्याख्या का उपयोग किया जाता है। यह कहना कि सख्त व्याख्या में क़ानून का सादा अध्ययन शामिल है और यह कहना कि अस्पष्टता की स्थिति में किसी को सख्त व्याख्या का उपयोग करना पड़ता है, स्वयं विरोधाभासी है।

[पैरा 22] [1209-ई-एफ] ग्राहक आयोग (आयात), मुंबई v. एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस।

1.9 शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत और सख्त व्याख्या के सिद्धांत का कभी-कभी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। हालाँकि, यह सिद्धांत सभी संदर्भों और स्थितियों में टिकाऊ नहीं हो सकता है। शाब्दिक व्याख्या के सभी मामलों में व्याख्या का सख्त नियम शामिल होगा, लेकिन सख्त नियम आवश्यक रूप से पूर्व को शामिल नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से कराधान के क्षेत्र में। सख्त।

व्याख्या अपने तह में सख्त-शाब्दिकता को शामिल नहीं करती है।

केवल 'सख्त व्याख्या' को 'शाब्दिक नियम' के साथ जोड़ने से एक महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी होगी जो 'स्पष्ट' है।

विधायी इरादा '। कुछ मामलों में उपरोक्त दो नियमों के बीच अतिव्यापी हो सकता है। 'सख्त व्याख्या' में ऐसी शाब्दिकता शामिल नहीं है, जो बेतुकेपन की ओर ले जाती है और इसके खिलाफ जाती है।

विधायी उद्देश्य। यदि शाब्दिकता वर्णक्रम के सुदूर छोर पर है, जिसमें यह कोई निहितार्थ या निष्कर्ष स्वीकार नहीं करता है, तो 'सख्त व्याख्या' को कुछ प्रकार के आवश्यक निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए निहित किया जा सकता है जिन्हें शाब्दिक नियम स्वीकार नहीं कर सकता है।

[पारस 24 और 25] [1210-जी; 1211-सी-डी]

पंजाब भूमि विकास और सुधार

निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम। पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय चंडीगढ़ और अन्य। , (1990) 3 एससीसी

682 : [1990] 3 एस. सी. आर. 111-पर निर्भर।

1.10 व्याख्या के अन्य साधन, अर्थात् प्रासंगिक या उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को लागू नहीं किया जा सकता है और न ही कोई उपाय किया जा सकता है।

अन्य सहायक सामग्री, विशेष रूप से कराधान में देखने के लिए बनाया गया

क़ानून। एक कराधान कानून में, किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है; उस संबंध में शब्दों के स्पष्ट अर्थ के लिए होना चाहिए और कि मामला पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। कर कानून की व्याख्या में समानता का कोई स्थान नहीं है। कराधान कानून पर विचार करते समय आवश्यक निष्कर्षों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए और न ही कुछ निहित किया जाना चाहिए।

[पैरा 25] [1211-ई-जी]

राजस्थान राज्य सहकारी कताई और जिनिंग मिल्स

फेडरेशन लिमिटेड बनाम। डिप्टी सी. आई. टी., जयपुर, (2014) 11 एस. सी. सी. 672 स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम। के आयुक्त आयकर, (1986) 2 एस. सी. सी. 11: [1986] 1 एस. सी. आर. 25; आयकर आयुक्त बनाम. कस्तुरी संस लिमिटेड

(1999) 3 एससीसी 346: [1999] 1 एस. सी. आर. 1207; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) 10 एस. सी. सी. 201 [2004] 1 एस. सी. आर. 564-पर निर्भर था।

केप ब्रांडी सिंडिकेट बनाम। आई. आर. सी. (1921) 1 के. बी. 64; पुनः,

मिकलेथवेट (1885) 11 एक्स 452 का उल्लेख किया गया है।

' न्यायमूर्ति जी. पी. द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत

सिंह; ब्लैक लॉ डिक्शनरी (10 वीं संस्करण)-संदर्भित

को।

2.1 कर प्रावधान (प्रभार प्रावधान) की व्याख्या करने और इसकी व्याख्या करने के मामले में अंतर है।

छूट अधिसूचना। किसी कराधान कानून के आरोप अनुभाग की व्याख्या के मामले में, व्याख्या का सख्त नियम अनिवार्य है और यदि आरोप अनुभाग की व्याख्या के मामले में दो विचार संभव हैं, तो एक के लिए अनुकूल है

निर्धारिती को आवेदन करने की आवश्यकता है। [पैरा 12] [1205-ई, एफ] 2.2 यह कानून है कि कर कानून में कोई भी अस्पष्टता विषय/निर्धारिती के लाभ के लिए होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी अस्पष्टता होनी चाहिए।

छूट अधिसूचना का छूट खंड राजस्व के पक्ष में प्रदान किया जाना चाहिए-और ऐसी छूट का लाभ केवल उन विषयों/मूल्यांकनकर्ताओं को लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो यह प्रदर्शित करते हैं कि छूट का मामला पूरी तरह से मानदंडों के भीतर आता है।

अधिसूचना में उल्लिखित है कि दावेदार छूट का लाभ उठाने के लिए पूर्ववर्ती सभी शर्तों को पूरा करते हैं। [पैरा 40]

[1225 - बी, सी]

2.3 शुल्क, गणना और छूट खंड (सीमा स्तर पर) सहित प्रत्येक कर लगाने वाली व्यवस्था होनी चाहिए

सख्ती से व्याख्या की गई। इसके अलावा, प्रभार के प्रावधानों में अस्पष्टता के मामले में, लाभ अनिवार्य रूप से विषय/निर्धारिती के पक्ष में जाना चाहिए, लेकिन यह छूट अधिसूचना के लिए सच नहीं है जिसमें अस्पष्टता के लाभ की सख्ती से राजस्व/राज्य के पक्ष में व्याख्या की जानी चाहिए। [पैरा 41] [1225-ई-एफ]

2.4 एक लिखित द्वारा कानून के शासन के शासन में

संविधान में कराधान की कोई निहित शक्ति नहीं है। कर की शक्ति विशेष रूप से प्रदान की जानी चाहिए और यह सख्ती से होनी चाहिए

स्वयं संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार। यही कारण है कि न्यायालय किसी राज्य की मांग के सख्त अनुपालन पर जोर देते हैं और विभिन्न करों के लिए अपने नागरिकों से धन निकालते हैं। इसलिए, कराधान प्रावधान में किसी भी अस्पष्टता की व्याख्या विषय/निर्धारिती के पक्ष में की जाती है।

द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स (आयात), मुंबई v. एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस।

कानून का यह कथन कि कर कानून में अस्पष्टता की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और अस्पष्टता की स्थिति में लाभ विषय/निर्धारिती को जाना चाहिए, विभिन्न स्थितियों की कल्पना करने के लिए आवश्यक हो सकता है। कोई निहित अवधारणा भी नहीं हो सकती है।

कर के विषय या कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की पहचान करना। यही कारण है कि अक्सर यह कहा जाता है कि विषय पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, जब तक कि कानून के शब्द स्पष्ट रूप से उस पर कर नहीं लगाते हैं, कि किसी को केवल स्पष्ट रूप से बताए गए शब्दों को देखना होगा और कर के रूप में किसी भी इरादे या अनुमान के लिए कोई जगह नहीं है। यह केवल कानून का पत्र है और कानून की भावना नहीं है जो दुभाषिया को किसी भी कठिनाई को नजरअंदाज करते हुए और कराधान में समानता से बचने के लिए कर के दायित्व का निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार, यदि किसी कराधान देयता क़ानून में अस्पष्टता की स्थिति में, लाभ विषय/निर्धारिती को जाना चाहिए। लेकिन, ऐसी स्थिति में जहां कर छूट की व्याख्या की जानी चाहिए, संदेह का लाभ राजस्व के पक्ष में जाना चाहिए। [पैरा 43] [1226-ए-एफ] 2.5 छूट अधिसूचना की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए; प्रयोज्यता साबित करने का बोझ निर्धारिती पर यह दिखाने के लिए होगा कि उसका मामला छूट खंड या छूट अधिसूचना के मापदंडों के भीतर आता है। [पैरा 52] [1230-जी]

2.6 जब छूट अधिसूचना में अस्पष्टता होती है जो सख्त व्याख्या के अधीन होती है, तो इस तरह की अस्पष्टता का लाभ विषय/निर्धारिती द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है और इसकी व्याख्या राजस्व के पक्ष में की जानी चाहिए। [पैरा 52] [1230-एच]

2.7 सन एक्सपोर्ट के मामले में अनुपात सही नहीं है और सन एक्सपोर्ट के मामले में समान दृष्टिकोण रखने वाले सभी निर्णय सही हैं।

अधिक शासित। [पैरा 52] [1231-ए]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम हरि चंद श्री गोपाल (2011) 1 एस. सी. सी. 236: [2010] 13 एससीआर

820 पीछा किया।

सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, बॉम्बे बनाम। कलेक्टर

सीमा शुल्क, बॉम्बे (1977) 6 एस. सी. सी. 564: [1997] 1 पूरक। एस. सी. आर. 434 ने खारिज कर दिया। हंसराज गोरधनदास बनाम। एच. एच. डेव, सहायक। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के कलेक्टर, सूरत और अन्य।

,

आकाशवाणी 1970 [2018] 7 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एससी 755 = [1969] 2 एससीआर 253; केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर बनाम। पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड (1989) 1 एस. सी. सी. 345: [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 933; मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड v. डी. वाणिज्यिक कर आयुक्त (1992) 1 पूरक। एससीसी 21: [1991] 3 एस. सी. आर. 336; नोवोपैन इंडिया लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर और

सीमा शुल्क (1994) 3 पूरक। एससीसी 606: [1994] 3 पूरक। एस. सी. आर. 549; टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम की स्थिति

झारखंड (2005) 4 एससीसी 272 [2005] 2 एससीआर 1207 -

पर भरोसा किया।

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, गुंटूर और अन्य। v. सुरेंद्र कॉटन ऑयल मिल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी और अन्य। (2001) 1 एस. सी. सी. 578 [2000] 5 पूरक। एस. सी. आर. 701; भारत संघ बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी, पश्चिम बंगाल और अन्य। ए. आई. आर 1956 एस. सी 202: [1955] एस. सी. आर. 1076; भारत संघ बनाम। वुड पेपर्स लिमिटेड (1990) 4 एस. सी. सी. 256; गोविंद सरन गंगा सरन बनाम। बिक्री कर आयुक्त (1985) पूरक। एससीसी 205: [1985] एस. सी. आर. 985; मथुरम अग्रवाल बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (1999) 8 एससीसी 667: [1999] 4 पूरक। एस. सी. आर. 195; भारतीय बैंक संघ बनाम। देवकला परामर्श सेवा

(2004) 4 जे. टी. 587 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2615; उपभोक्ता ऑनलाइन फाउंडेशन बनाम। भारत संघ (2011) 5 एससीसी

360 [2011] 5 एस. सी. आर. 911 को संदर्भित किया गया।

अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम। जेम्स फॉरेस्ट (1890) 15 एसी 334 (एचएल)- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1997] 1 पूरक। एससीआर 434

खारिज कर दिया गया

पै

रा 1

[2000] 5 पूरक। एससीआर 701

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[2001] 1 पूरक। एससीआर 147

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[1958] एससीआर 360

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[1995] 2 पूरक। एससीआर 807

उस पर भरोसा करें

पैरा 20-ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई v. एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस।

[1990] 3 एससीआर 111

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

(2014) 11 एस. सी. सी. 672

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

[1986] 1 एससीआर 25

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

[1999] 1 एससीआर 1207

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

[2004] 1 एससीआर 564

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

[1955] एससीआर 1076

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

[1969] 2 एससीआर 253

उस पर भरोसा करें

पै

रा 34

(1990) 4 एससीसी 256

पै

रा 35

संदर्भित किया गया है

[1988] 3 पूरक। एससीआर 933

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

[1991] 3 एससीआर 336

उस पर भरोसा करें

पै

रा 36

[2010] 13 एससीआर 820

पीछा किया।

पै

रा 38

[1985] एससीआर 985

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[1999] 4 पूरक। एससीआर 195

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

एआईआर 2004 एससी 2615

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[2011] 5 एससीआर 911

पै

रा 42

संदर्भित किया गया है

[1994] 3 पूरक। एससीआर 549

उस पर भरोसा करें

पै

रा 49

[2005] 2 एससीआर 1207

उस पर भरोसा करें

पै

रा 50

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3

2007 से।

अंतिम आदेश सं। ए/25 से 32/डब्ल्यूजेडबी/06 सी. आई. (सीएस. टी.

अपील सं. में सी. ई. एस. टी. ए. टी. ई., मुंबई का दिनांक <आई. डी. 1. सी/199,210,211-आर और 416 से 419/2000-मम।

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., यशांक अध्यारू, सीनियर एड. , सुश्री आई।

टम्टा, सुश्री शिरीन खजुरिया, सुश्री आयुषी गौर, संजय कुमार। पट सुश्री सौदामिनी शर्मा, सुमित तेतरवाल, ऋषभ जैन, बी. कृष्ण प्रा सोमनाथ शुक्ला, एम. पी. देवनाथ, अभिषेक आनंद, उदित जे. सुश्री अश्विनी चंद्रशेखरन, प्रवीण कुमार, अधिवक्ता। एपिया के लिए

पार्टियाँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, जे. 1. यह संविधान पीठ सन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में अनुपात की शुद्धता की जांच करने के लिए स्थापित की गई है।

बॉम्बे बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे, (1997) 6 एस. सी. सी. 564 [इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'सन एक्सपोर्ट केस' के रूप में संदर्भित], अर्थात् सवाल यह है कि-कर छूट प्रावधान/अधिसूचना की व्याख्या करते समय क्या व्याख्यात्मक नियम लागू किया जाना चाहिए जब निर्धारिती की पात्रता या लागू किए जाने वाले कर की दर के संदर्भ में इसकी प्रयोज्यता के बारे में अस्पष्टता है?

2. सन एक्सपोर्ट केस (उपरोक्त) में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि कर छूट प्रावधान या अधिसूचना में अस्पष्टता होनी चाहिए इस तरह से व्याख्या की गई ताकि ऐसे लाभ का दावा करने वाले निर्धारिती का पक्ष लिया जा सके

छूट। इस तरह के नियम पर संदेह था जब यह अपील दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखी गई थी। इसके बाद मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष गया, जिसमें हममें से एक (रंजन गोगोई, जे.) शामिल थे। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आज की स्थिति में कानून की असंतोषजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा कि सूर्य निर्यात मामले (उपरोक्त) में आदेश पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और इस तरह मामले को इस संविधान पीठ के समक्ष रखा गया है।

3. इस मुद्दे को समझने के लिए कुछ तथ्यों की आवश्यकता है जो इस प्रकार हैं कि उत्तरदाताओं ने विटामिन-ई 50 की एक खेप आयात की।

बिल ऑफ एंट्री नंबर 8207, दिनांक 19.08.1999 के तहत पाउडर (फ़ीड ग्रेड)। उन्होंने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 20/1999 के अनुसार मानक 30 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत पर शुल्क की रियायती दर का लाभ लेने का दावा किया और उत्पाद को अध्याय 2309.90 के तहत वर्गीकृत किया, जो निश्चित रूप से झींगे से संबंधित है। खिलाएँ। उन्होंने सूर्य निर्यात मामले (ऊपर) में अनुपात पर भरोसा किया और छूट के लाभ का दावा किया। हालांकि, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 20/1999 के लाभ को विभाग की याचिका पर उत्तरदाताओं को देने से इनकार कर दिया गया था कि आयातित वस्तुओं में पशु चारा/झींगे के चारे के लिए नहीं बल्कि पशु चारे के लिए रासायनिक तत्व होते हैं, इसलिए मौजूदा अधिसूचना के तहत शुल्क की रियायती दर उपलब्ध नहीं थी। द.

विभाग ने खेप को अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया जो सीमा शुल्क की मानक दर को आकर्षित करता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अर्थात्, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, विशिष्ट सूर्य निर्यात मामला

(ऊपर), रियायती दर को अस्वीकार करने के लिए विभाग की याचिका को स्वीकार करते हुए। सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) ने सहायक आयुक्त के आदेश को उलट दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सूर्य निर्यात मामला (उपरोक्त) वास्तव में लागू था।

ग्राहक विभाग आयुक्त (आयात), मुंबई v.

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

इसके बाद सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) से संपर्क किया गया, जिसने सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) के आदेश की पुष्टि की। इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपील दायर की जाती है।

4. जब अपील दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखी गई, जैसा कि पहले देखा गया था, तो सूर्य निर्यात मामले (ऊपर) के फैसले पर संदेह किया गया था, निम्नलिखित रूप में अवलोकन करें

" हमें इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के मामले में बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय सही है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह स्पष्ट है कि बाद की छूट

अधिसूचना ने काफी हद तक पहली अधिसूचना का विस्तार किया जिसमें केवल पशु आहार का उल्लेख किया गया था और कुछ नहीं। ऐसा होने पर, यह कहना मुश्किल होगा कि बड़ी संख्या में अन्य श्रेणियां जो जो बाद में जोड़े गए हैं वे
स्पष्टीकरणात्मक होंगे और

इसलिए, पूर्वव्यापी। इसके अलावा, हम यह भी महसूस करते हैं कि इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने यह अभिनिर्धारित किया है कि छूट अधिसूचना का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए (अर्थात, यदि छूट का दावा करने वाला व्यक्ति सख्ती से इस पत्र के अंतर्गत नहीं आता है)

अधिसूचना, वह छूट का दावा नहीं कर सकता), को भी इस न्यायालय द्वारा सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के मामले में पैराग्रैप 13 में नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके अलावा, पैराग्राफ 13 में इस न्यायालय का यह विचार कि यह सर्वसम्मत है कि यदि दो विचार संभव हैं, तो कराधान के मामलों में निर्धारिती के पक्ष में एक विचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अतुलनीय है। हालाँकि, इस न्यायालय का इसमें कोई सरोकार नहीं था एक कराधान कानून के आरोप अनुभाग के साथ मामला। यह एक छूट अधिसूचना की व्याख्या से संबंधित था, जिसके लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बिल्कुल विपरीत परीक्षण को पूरा करने की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा इस अदालत ने पाया कि सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गुंटूर और अन्य के कलेक्टर में बाद का फैसला। वी. सुरेंद्र कॉटन

ऑयल मिल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी और अन्य। , 2001 (1) एस. सी. सी. 578 [संक्षिप्तता के लिए इसके बाद 'सुरेंद्र कॉटन ऑयल मिल्स केस' के रूप में संदर्भित],

विशिष्ट सन एक्सपोर्ट केस (उपरोक्त), जिसने इस न्यायालय को पहले के मामलों द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पर निम्नलिखित तरीके से फिर से विचार करने का आदेश दिया:

" हम यह भी पाते हैं कि इस न्यायालय के बाद के फैसले, सुरेंद्र कॉटन ऑयल मिल्स के मामले में, इस न्यायालय ने सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के मामले को अलग किया है और कहा है कि यह 'पशु [2018] 7 एस. सी. आर.' से संबंधित है।

फ़ीड 'जो' पशु चारा पूरक 'को शामिल करने के लिए काफी बड़ा था, जबकि सुरेंद्र कॉटन ऑयल मिल्स के मामले के तथ्यों से पता चलता है

कि पशु आहार की सामग्री को 'पशु आहार' में शामिल नहीं किया जा सकता है। हमारी राय में, इस न्यायालय ने इस बात पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया कि सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन का मामला क्यों बाध्यकारी है।

तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का पालन नहीं किया जाना चाहिए, इसके अलावा 'अवयवों' के बीच एक विशिष्ट अंतर और

' पूरक 'जो तार्किक रूप से एक के बिना एक अंतर बोल रहा है

अंतर। यह कानून की असंतोषजनक स्थिति है जैसा कि आज है,

हम महसूस करते हैं कि इस मामले को माननीय के समक्ष रखा जाना चाहिए

इस विषय में हमारे द्वारा बताए गए संदेहों को दूर करने के लिए आदेश दें "।

(जोर दिया गया)

5. हम महसूस करते हैं कि सुरेंद्र कॉटन ऑयल मिल्स मामले का संदर्भ

(ऊपर), आवश्यक नहीं हो सकता है क्योंकि अंतर एक तथ्यात्मक पर तैयार किया गया था

आधार, जिससे यह न्यायालय खुद को संबंधित नहीं कर सकता है, क्योंकि हम केवल कानून के सिद्धांत से संबंधित हैं। इसके साथ, डिवीजन बेंच का विचार था कि सन एक्सपोर्ट मामले में व्यक्त राय

(उपर्युक्त) के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें निर्धारित प्रस्ताव असंतोषजनक था, और इसलिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था

एक उपयुक्त पीठ के गठन के लिए भारत।

6. जब मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया

हममें से एक (रंजन गोगोई, जे.) की अध्यक्षता में पीठ ने सूर्य निर्यात मामले (उपरोक्त) पर पुनर्विचार करने के विचार को दोहराया और फिर से

इस मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया

एक उपयुक्त पीठ का गठन, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सूर्य

निर्यात मामला (उपरोक्त) इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा तय किया गया था। अतः इस मामले को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ पाँच न्यायाधीशों की इस पीठ के समक्ष रखा गया।

" सन के मामले में इस न्यायालय के आदेश के पैराग्राफ 13 में,

व्याख्या के संबंध में विचार व्यक्त किए गए हैं निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए एक छूट अधिसूचना

पहुँच गया। इसके लिए पुनर्विचार की भी आवश्यकता हो सकती है।

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई v.

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

इसके अलावा, रेफरल क्रम में यह देखा गया है कि सूर्य का

केस (उपरोक्त) को 'कलेक्टर ऑफ सेंट्रल' में अलग किया गया है।

एक्साइज, गुंटूर बनाम सुरेंद्र कॉटन ऑयल मिल्स एंड फर्ट। कं. द.

जिस आधार पर उक्त भेद किया गया है, वह होना आवश्यक है -

आगे पीछा किया। इस मामले पर कुछ विस्तार से विचार करने के बाद, हम हैं

संभावित दृष्टिकोण, कि सूर्य के मामले में व्यक्त राय

(ऊपर) पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है। एक संयोजक होने के नाते

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उचित आदेश "।

(जोर दिया गया)

7. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुश्री पिंकी आनंद,

प्रस्तुत करता है कि कर छूट क़ानून या अधिसूचना की सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता है। उनके अनुसार, सख्त व्याख्या व्याख्या का शाब्दिक नियम है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय को उसमें भाषा को पढ़ने के प्रावधान को लागू करना होगा और यदि -

भाषा स्पष्ट है। उनके अनुसार, किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में, लाभ राजस्व को दिया जाना चाहिए और कर छूट के प्रावधान में ऐसी अस्पष्टता की व्याख्या निर्धारिती को लाभान्वित करने के लिए नहीं की जानी चाहिए जो बिना किसी संदेह के यह प्रदर्शित करने में विफल रहता है कि ऐसा निर्धारिती कर छूट अधिसूचना के दायरे में आता है। उन्होंने विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए अपनी दलीलों को विस्तृत किया और तर्क दिया कि सूर्य निर्यात मामले (उपरोक्त) में अनुपात, जिस पर सुरेंद्र कॉटन ऑयल मिल्स मामले (उपरोक्त) में संदेह किया गया था, सही कानून नहीं है। मामले के गुण-दोष पर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि सुरेंद्र कॉटन ऑयल मिल्स मामले द्वारा बनाया गया कृत्रिम भेद

(ऊपर), पूरक से अवयवों को अलग करने में सही नहीं है और इसे न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

8. इसके विपरीत, अन्य लोगों के अलावा, श्री सोमनाथ शुक्ला ने सीखा

उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वकील प्रस्तुत करेंगे कि सूर्य निर्यात मामले (उपरोक्त) में अनुपात और टिप्पणियों को होना चाहिए

उसमें आए निष्कर्ष को कोई संकीर्ण अर्थ दिए बिना समग्र रूप से माना जाता है। सख्त व्याख्या का नियम नहीं हो सकता है

अमूर्त में लागू किया गया। इसे सीमा शुल्क प्रविष्टि के संबंध में उपयोग की जाने वाली व्याख्या को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार, जब सीमा शुल्क शुल्क प्रविष्टि की व्याख्या की जाती है [2018] 7 एस. सी. आर.

मोटे तौर पर, छूट अधिसूचना की व्याख्या में भी यही अपनाया जाना चाहिए। वास्तव में, विद्वान वरिष्ठ वकील यह तर्क देंगे कि सख्त व्याख्या का नियम छूट अधिसूचना की पात्रता शर्तों तक सीमित होना चाहिए और ऐसे लोगों को लाभ प्रदान करते हुए

छूट। उन्होंने अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए सभी निर्णयों को अलग किया और प्रस्तुत किया कि "झींगा चारा पूरक" भी होगा "झींगा चारा" शीर्ष के तहत शामिल, और इन अपीलों में विवादित न्यायाधिकरण का निर्णय किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

9. सन एक्सपोर्ट केस (सुप्रा) के फैसले के खिलाफ एक मामला था

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी सं. 234/1982-CE, दिनांक 01.11.1982। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या विटामिन एडी-3 मिश्रण (फ़ीड ग्रेड)/पशु आहार पूरक को शीर्ष के नीचे शामिल किया जा सकता है। ' पशु आहार, जिसमें यौगिक पशु आहार शामिल है। बंबई उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के पक्ष में सकारात्मक निर्णय दिया। मामला तब इस न्यायालय में आया, जिसे अर्थ का विस्तार करने के लिए राजी किया गया।

1984 में जारी बाद की अधिसूचना के आलोक में 'पशु आहार' का, जिसने काफी हद तक छूट के दायरे का विस्तार किया

' पशु आहार, जिसमें यौगिक पशु आहार, पशु आहार पूरक और पशु आहार शामिल हैं, केंद्रित होता है। यह न्यायालय वास्तव में याचिका को स्वीकार करते हुए, अर्थात्, जब भी इस बारे में अस्पष्टता होती है कि विषय वस्तु को शामिल किया गया था या नहीं, तो इसका लाभ निर्धारिती को प्रदान किया जाना चाहिए। सूर्य निर्यात मामले (उपरोक्त) में प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" 13. हम द्वारा व्यक्त उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं

बॉम्बे उच्च न्यायालय। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी ओर से तर्क दिया गया था

राजस्व जो न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण रहा है इस न्यायालय में चुनौती दी गई जिसे सीमा में खारिज कर दिया गया था

प्रवेश चरण। हमें नहीं लगता कि प्रवेश पर बर्खास्तगी एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में चरण पर भरोसा किया जा सकता है। यहाँ तक कि अनुमान भी लगाएँ

कि दो विचार संभव हैं, यह अच्छी तरह से तय है कि एक कराधान के मामलों में निर्धारिती के लिए अनुकूल होना चाहिए

पसंद किया जाता है "।

(जोर दिया गया)

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई v.

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

10. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि सूर्य निर्यात मामले में अनुपात

अधिसूचना, जिसके मामले में निर्धारिती के लिए अनुकूल है कराधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस सिद्धांत ने भ्रम पैदा किया और

इसके परिणामस्वरूप कानून की स्थिति असंतोषजनक हो गई। इस न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद, जिसने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया, यह मानते हुए कि एक छूट

अधिसूचना का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति दावा कर रहा है

छूट सख्ती से अधिसूचना के विवरण के भीतर नहीं आती है।

अन्यथा वह छूट का दावा नहीं कर सकता।

11. सन एक्सपोर्ट केस (ऊपर) के लगभग तीन साल बाद, वर्ष 2000 में, इस अदालत ने सुरेंद्र कॉटन ऑयल मिल्स केस (ऊपर) में कहा, सन एक्सपोर्ट मामले में डिक्टा की दृढ़ता के बारे में आपत्तियाँ

(ऊपर), यह देखते हुए कि सन एक्सपोर्ट केस (ऊपर) ने इस न्यायालय के विपरीत विचार व्यक्त करने वाले निर्णयों की उपेक्षा की। यह न्यायालय प्रथम दृष्टया इस सिद्धांत के संबंध में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब दो विचार संभव हैं, तो एक कर के मामलों में निर्धारिती के पक्ष में है।

कर कानून के प्रभार अनुभाग की व्याख्या करते समय इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत सिद्धांत होगा

छूट अधिसूचना की व्याख्या में लागू। तीन-न्यायाधीश पीठ ने रेफरल आदेश में आगे कहा कि व्यक्त किए गए विचार

सूर्य निर्यात मामला (उपरोक्त) निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए छूट अधिसूचना की व्याख्या के संबंध में, पुनर्विचार की आवश्यकता है।

फिर भी, संक्षेप में, हम इसका उल्लेख कर सकते हैं, जैसा कि सुरेंद्र में देखा गया है। कपास तेल मिल मामला (ऊपर), की व्याख्या के मामले में

एक कराधान कानून की धारा को चार्ज करते हुए, व्याख्या का सख्त नियम है

कराधान कानूनों के तहत प्रकाशित छूट अधिसूचना की व्याख्या और इस क्षेत्र में भी बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं।

1 देखिए: सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, बॉम्बे बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे और अन्र। , (1997) 6 एस. सी. सी. 564; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे बनाम। अभी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. लिमिटेड, (2005) 3 एस. सी. सी. 541; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे-1 और अन्र। वी. पारले एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, (1989) 1 एस. सी. सी. 345; सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। कोंकण सिंथेटिक फाइबर, (2012) 6 एस. सी. सी. 339; सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे बनाम। स्वास्टिक वूलन (प्रा.) लिमिटेड और ओआरएस। , (1988) सप. एस. सी. सी. 796; सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), गुजरात बनाम। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (2008) 7 एस. सी. सी. 220।

13. हम, हालांकि, व्याख्या के सामान्य सिद्धांतों को संक्षेप में दोहरा सकते हैं, जिन्हें दोनों ने भी दोहराया था

वकील। अपने ग्रंथ 'सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत' में न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने एक आधुनिक राज्य में कानूनों के निर्माण के महत्व को स्पष्ट रूप से इंगित किया:

" आधुनिक राज्य में कुछ सार्वजनिक बुराई पर अंकुश लगाने या कुछ सार्वजनिक लाभ को प्रभावी बनाने के लिए कुछ नीतियों के साथ कानून बनाया जाता है। यह विधान मुख्य रूप से अतीत और वर्तमान अनुभव से प्राप्त जानकारी के आधार पर विधानमंडल के समक्ष समस्याओं के लिए निर्देशित है। यह हो सकता है भविष्य में उत्पन्न होने वाली इसी तरह की समस्याओं को कवर करने के लिए सामान्य शब्दों के उपयोग से भी डिज़ाइन किया जाना चाहिए। लेकिन, चीजों की प्रकृति से, भविष्य में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों का पूरी तरह से अनुमान लगाना असंभव है।

हाथ में कानून के अनुप्रयोग की आवश्यकता हो सकती है, और ऐसे अनिश्चित 'संदर्भों' को संप्रेषित करने के लिए चुने गए शब्द होने के लिए बाध्य हैं, कई मामलों में स्पष्टता और सटीकता की कमी है और इस प्रकार निर्माण के विवादास्पद प्रश्नों को जन्म देते हैं।

14. संसद/विधानमंडल का एक अधिनियम सभी प्रकार की स्थितियों और सभी प्रकार के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। यह न्यायालय को देखना है कि क्या कोई विशेष मामला विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के व्यापक सिद्धांतों के भीतर आता है। यहाँ, क़ानूनों की व्याख्या के सिद्धांत काम आते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि क्षेत्र के विशेषज्ञ अधिनियमों और नियमों का मसौदा तैयार करने में सहायता करते हैं, ऐसे कई अवसर हैं जहां उपयोग की गई भाषा और क़ानून में उपयोग किए गए वाक्यांश सही नहीं हैं। इसलिए, न्यायाधीशों और न्यायालयों को शब्दों की व्याख्या करने की आवश्यकता है।

15. ऐसा करने में, व्याख्या के सिद्धांतों को सामान्य कानून में विकसित किया गया है। यह भी उचित के लिए अभ्यास किया गया है

विधानमंडल, सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित शब्दों और वाक्यांशों और सामान्य खंड अधिनियम में निर्धारित व्याख्या के सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि किसी सांविधिक कानून की व्याख्या करते समय, किसी अधिनियम में उपयोग किए गए किसी शब्द या वाक्यांश या खंड को दिए जाने वाले अर्थ के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है और ऐसा शब्द, वाक्यांश या खंड विशेष रूप से परिभाषित नहीं है, तो सामान्य खंड अधिनियम पर वापस आना वैध और वास्तव में अनिवार्य है। इसके बावजूद, हमें याद रखें कि जब सामान्य खंड अधिनियम और एक वैधानिक प्रावधान के बीच विषय या संदर्भ के बारे में प्रतिकूलता या संघर्ष होता है जो

व्याख्या के लिए आता है, न्यायालय को आवश्यक रूप से प्रावधानों का उल्लेख करना चाहिए कानून का।

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई v.

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

16. व्याख्या का उद्देश्य अनिवार्य रूप से जानना है

विधानमंडल का इरादा। क्या विधानमंडल का किसी दिए गए मामले में कानून को लागू करने का इरादा था; क्या विधानमंडल ने इसे बाहर करने का इरादा किया था

क़ानूनों की व्याख्या के सिद्धांत, कुछ आंतरिक सहायक और बाहरी सहायक हैं जो क़ानूनों की व्याख्या करने के लिए उपकरण हैं। 17. लंबा शीर्षक, प्रस्तावना, शीर्षक, सीमांत नोट, विराम चिह्न, चित्र, परिभाषाएँ या शब्दकोश खंड, एक के लिए एक प्रावधान

धारा, स्पष्टीकरण, उदाहरण, अधिनियम की एक अनुसूची आदि निर्माण के लिए आंतरिक सहायक हैं। निर्माण के लिए बाहरी सहायक हैं

कानून को लागू करते समय और कानून की व्याख्या करते समय कानून का सही इरादा। यदि कोई वैधानिक प्रावधान एक से अधिक अर्थों के लिए खुला है, तो न्यायालय को उस व्याख्या का चयन करना होगा जो विधानमंडल के इरादे का प्रतिनिधित्व करती है। इस संबंध में, इस न्यायालय द्वारा जिला खनन अधिकारी बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में की गई निम्नलिखित टिप्पणियां: (2001) 7 एस. सी. सी. 358 पर ध्यान दिया जा सकता है:

" ..... एक क़ानून विधानमंडल का एक आदेश है और एक क़ानून का अर्थ लगाने में, इसके निर्माता के इरादे की तलाश करना आवश्यक है। एक क़ानून का अर्थ उनके इरादे के अनुसार लगाया जाना चाहिए जो इसे बनाते हैं और न्यायालय का कर्तव्य विधानमंडल के सच्चे इरादे पर कार्य करना है। यदि कोई वैधानिक प्रावधान एक से अधिक व्याख्याओं के लिए खुला है तो न्यायालय को उस व्याख्या का चयन करना होगा जो विधानमंडल के सच्चे इरादे का प्रतिनिधित्व करती है। यह कार्य अक्सर विभिन्न कारणों से कठिनाइयों को जन्म देता है, क्योंकि उपयोग किए गए शब्द वैज्ञानिक प्रतीक नहीं हो सकते हैं जिनका कोई सटीक या निश्चित अर्थ हो और भाषा किसी के विचार को व्यक्त करने के लिए एक अपूर्ण माध्यम हो सकती है या कि विधानमंडलों की सभा

व्यक्त करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की राय रखने वाले व्यक्ति एक अर्थ जो अस्पष्ट हो सकता है। सबसे कल्पनाशील विधानमंडल के लिए भी यह असंभव है कि वह एक कानून बनाने के बाद उत्पन्न होने वाली व्यापक स्थितियों और परिस्थितियों को रोक सके जहां [2018] 7 एस. सी. आर.

अदालतें केवल व्याख्या करने के लिए होती हैं न कि कानून बनाने के लिए। एक आधुनिक राज्य में कुछ जनता पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नीतियों के साथ कानून बनाया जाता है। बुराई या कुछ सार्वजनिक लाभ को प्रभावी बनाना। कानून मुख्य रूप से है

के आधार पर विधानमंडल के समक्ष समस्याओं को निर्देशित किया गया

अतीत और वर्तमान के अनुभव से प्राप्त जानकारी। यह हो सकता है

भविष्य में उत्पन्न होने वाली इसी तरह की समस्याओं को कवर करने के लिए सामान्य शब्दों के उपयोग से भी डिज़ाइन किया जाना चाहिए। लेकिन, चीजों की प्रकृति से, भविष्य में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों का पूरी तरह से अनुमान लगाना असंभव है। हाथ में मौजूद विधान को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है, और ऐसे अनिश्चित संदर्भों को संप्रेषित करने के लिए चुने गए शब्द कई मामलों में स्पष्टता और सटीकता की कमी के लिए बाध्य हैं और इस प्रकार निर्माण के विवादास्पद प्रश्नों को जन्म देते हैं। निर्माण की प्रक्रिया शाब्दिक और उद्देश्यपूर्ण दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ती है। दूसरे शब्दों में विधायी आशय अर्थात किसी अधिनियम का सही या कानूनी अर्थ किसी भी स्पष्ट उद्देश्य के आलोक में अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ पर विचार करके प्राप्त किया जाता है।

या ऐसी वस्तु जो शरारत और उसके उपचार को समझती है

अधिनियम निर्देशित है "।

19. अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत यह है कि जब किसी कानून में शब्द स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट होते हैं और केवल एक ही अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है, तो न्यायालय परिणाम की परवाह किए बिना उक्त अर्थ को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य होते हैं। यदि कानून में शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं, तो उन शब्दों को उनके स्वाभाविक और स्पष्ट रूप में समझाना आवश्यक हो जाता है।

सामान्य भावना। उपयोग किए गए शब्द इरादे की घोषणा करते हैं

विधायिका। कनई लाल सूर बनाम। परमनिधि सधुखान, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 907 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि उपयोग किए गए शब्द केवल एक निर्माण करने में सक्षम हैं तो न्यायालयों के लिए किसी भी शब्द को अपनाने का अधिकार नहीं होगा। इस आधार पर अन्य काल्पनिक निर्माण कि ऐसा निर्माण अधिनियम के कथित उद्देश्य और नीति के साथ अधिक सुसंगत है।

20. सादा अर्थ के नियम को लागू करने में किसी भी कठिनाई और

असुविधा भाषा के अर्थ को बदलने का आधार नहीं हो सकती है।

कानून द्वारा नियोजित। यह विशेष रूप से राजकोषीय कानूनों और दंडात्मक कानूनों में होता है। फिर भी, यदि सादा भाषा बेतुकी होती है, तो न्यायालय को उस संदर्भ में शब्द का अर्थ निर्धारित करने का अधिकार है जिसमें इसका उपयोग विधायी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। 2 केवल नहीं 2 सहायक आयुक्त, गडग उप-मंडल, गडग बनाम। माथापति बसवन्नेवा, 1995 (6) एस. सी. सी. 355।

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई v.

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

कि, यदि सादा निर्माण विसंगति और बेतुकेपन की ओर ले जाता है, तो न्यायालय इस तरह के प्रावधान से होने वाली कठिनाइयों और परिणामों को ध्यान में रखते हुए कानून के सही इरादे की व्याख्या भी कर सकता है। वैधानिक व्याख्या पर लागू सामान्य सिद्धांतों का पालन करने के बाद, अब कराधान के संबंध में व्याख्या के नियमों पर विचार करने का समय आ गया है।

21. दंडात्मक कानूनों और कराधान कानूनों के अर्थ में, न्यायालय को व्याख्या के सख्त नियम लागू करने होते हैं। दंडात्मक कानून जो लागू होता है

किसी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने के लिए सख्त व्याख्या की जानी चाहिए अन्यथा कई निर्दोष लोग इसका शिकार हो सकते हैं।

विवेकाधीन निर्णय लेना। जहाँ तक कराधान क़ानूनों का संबंध है संबंधित, संविधान 3 का अनुच्छेद 265 राज्य को प्रतिबंधित करता है

कानून के अधिकार के बिना नागरिकों से कर निकालना। यह स्वयंसिद्ध है कि कराधान कानून की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए क्योंकि राज्य कानून के अधिकार के बिना नागरिकों पर अपनी मर्जी से बोझ नहीं डाल सकता है। दूसरे शब्दों में, जब सक्षम विधानमंडल कुछ परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों/कुछ उद्देश्यों पर कर लगाने का आदेश देता है, तो इसका विस्तार/व्याख्या उन लोगों को शामिल करने के लिए नहीं की जा सकती है, जो विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत नहीं थे। 22. सबसे पहले, हमें कर कानून के संबंध में 'स्पष्ट अर्थ वाले नियम या स्पष्ट और असंदिग्ध नियम' की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। मैदान।

स्पष्ट रूप से, न्यायालय को साधारण भाषा को पढ़ना और समझना पड़ता है, और किसी भी व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है। यह हितकारी उक्ति वाक्यांश "कम इनवर्बिस नुल्ला एम्बिगुइटास एस्ट, नॉन" से निकलती है। स्वयं की इच्छाओं को स्वीकार करें। इस तरह के सिद्धांत का पालन करते हुए, अदालतों ने कभी-कभी सरल अर्थ नियम के अधीन सख्त व्याख्या की है, हालांकि सटीक अर्थ में सख्त व्याख्या का उपयोग किया जाता है। यह कहना कि सख्त व्याख्या में क़ानून का सादा अध्ययन शामिल है और यह कहना कि अस्पष्टता की स्थिति में किसी को सख्त व्याख्या का उपयोग करना पड़ता है, स्वयं विरोधाभासी है।

23. इसके बाद, हम 'सख्त व्याख्या' के अर्थ और दायरे पर विचार कर सकते हैं, जैसा कि भारतीय कानून में विकसित हुआ है और कैसे उच्च न्यायालयों ने एक ओर कराधान क़ानून और दूसरी ओर कर छूट अधिसूचना की व्याख्या करते हुए अंतर किया है। ब्लैक के कानून शब्दकोश में

(10) 'सख्त व्याख्या' का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

3, 265. कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा-कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।

4 मैंगलोर केमिकल्स केस (इन्फ्रा पैरा 37)।

18] 7 एस सी आर।

सख्त व्याख्या। (16(ग) 1. संदर्भ और अन्य अनुमेय अर्थों की परवाह किए बिना शब्दों के सबसे संकीर्ण, सबसे शाब्दिक अर्थ के अनुसार एक व्याख्या। 2. दुभाषिया जिसे संक्षिप्त रूप से पाठ के लेखकों या अनुसमर्थकों के विशिष्ट इरादे या समझ मानता है, उसके अनुसार एक व्याख्या, और अधिक नहीं। - यह भी कहा जाता है (इंद्रियों 1 और 2 में) सख्त निर्माण, शाब्दिक व्याख्या; शाब्दिक निर्माण; प्रतिबंधित

व्याख्या; व्याख्या सख्त; व्याख्या प्रतिबंध;

इंटरप्रिटेशनल वर्बलिस। 3. सख्त अंतर्निहित दर्शन

मूर्तियों की व्याख्या। - इसे करीबी व्याख्या भी कहा जाता है; व्याख्या प्रतिबंधात्मक।

निर्माणवाद के तहत सख्त निर्माणवाद देखें। सी. एफ. बड़ा

व्याख्या; उदार व्याख्या (2)।

" एक कानून का सख्त निर्माण वह है जो निहितार्थ या न्यायसंगत विचारों द्वारा कानून का विस्तार करने से इनकार करता है, लेकिन अपने संचालन को उन मामलों तक सीमित करता है जो स्पष्ट रूप से कानून के पत्र के भीतर हैं।

कानून, साथ ही अपनी भावना या तर्क के भीतर, विधानमंडल के प्रकट उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं, बल्कि सभी को हल करने के लिए विशेष मामले में क़ानून की प्रयोज्यता के खिलाफ उचित संदेह। विलियम एम. लिल और अन्य। , लॉ बुक्स 343 का संक्षिप्त निर्माण और उपयोग (रोजर डब्ल्यू. कूली और चार्ल्स लेस्ली एम्स)

एडीएस। , 3 डी एड। 1914) .

" सख्त व्याख्या एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसका अर्थ है या तो शाब्दिक या संकीर्ण। जब कोई प्रावधान अस्पष्ट होता है, तो इसका एक अर्थ दूसरे की तुलना में व्यापक हो सकता है, और सख्त (यानी संकीर्ण) हो सकता है।

जरूरी नहीं कि इन्द्रिय कठोर हो (अर्थात शाब्दिक)। भावना "। जॉन सैल्मंड, न्यायशास्त्र 171 एन। (टी) (ग्लैनविल एल. विलियम्स एड। , 10 टी. एड. 1947) .

24. जैसा कि सुश्री पिंकी आनंद ने तर्क दिया, अतिरिक्त सीखा

महान्यायवादी, शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत और सख्त व्याख्या के सिद्धांत का कभी-कभी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। हालाँकि, यह सिद्धांत सभी संदर्भों और स्थितियों में टिकाऊ नहीं हो सकता है।

निश्चित रूप से इस तर्क को बनाए रखने की गुंजाइश है कि शाब्दिक व्याख्या के सभी मामलों में व्याख्या का सख्त नियम शामिल होगा, लेकिन सख्त नियम आवश्यक रूप से पूर्व को शामिल नहीं कर सकता है, विशेष रूप से कराधान के क्षेत्र में। पंजाब भूमि विकास और सुधार निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय चंडीगढ़ और अन्य। , (1990) 3 एस. सी. सी. 682 ने उक्त विशिष्टता को स्पष्ट किया और शाब्दिक नियम ग्राहक आयोग (आयात), मुंबई बनाम की व्याख्या की।

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

" निर्माण के शाब्दिक नियमों के लिए अधिनियम के शब्दों को इसके शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझने की आवश्यकता है। परिणाम चाहे जो भी हो। जब तक अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक एक ही शब्द का सामान्य रूप से पूरे अधिनियम में एक ही अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए, और पुराने कानूनों के मामले में इसके समकालीन अर्थ को ध्यान में रखा जाना चाहिए यदि इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है

समय के साथ "।

उस सख्त व्याख्या में सख्त-शाब्दिकता शामिल नहीं है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि केवल 'सख्त' को जोड़ते हुए 'शाब्दिक नियम' के साथ 'व्याख्या' के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी होगी जो 'स्पष्ट विधायी इरादा' है। हम इस तथ्य के लिए जीवित हैं कि

कुछ मामलों में उपरोक्त दो नियमों के बीच अतिव्यापी हो सकता है। निश्चित रूप से, हम देख सकते हैं कि 'सख्त व्याख्या' में ऐसी शाब्दिकता शामिल नहीं है, जो बेतुकी हो जाती है और विधायी इरादे के खिलाफ जाती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि शाब्दिकता वर्णक्रम के सुदूर छोर पर है, जिसमें यह कोई निहितार्थ या निष्कर्ष स्वीकार नहीं करता है, तो 'सख्त व्याख्या' को किसी प्रकार के आवश्यक शब्दों को स्वीकार करने के लिए निहित किया जा सकता है।

निष्कर्ष जो शाब्दिक नियम स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

25. हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि शाब्दिक नियम की सख्त व्याख्या की जाए और न ही किसी को 'सख्त व्याख्या' और 'शाब्दिक व्याख्या' के बीच परस्पर क्रिया का पता लगाने के लिए नजरअंदाज करना चाहिए। हम दोहराने की कीमत पर दोहरा सकते हैं कि एक क़ानून की सख्त व्याख्या में निश्चित रूप से शाब्दिक या सादा अर्थ परीक्षण शामिल है। व्याख्या के अन्य साधन, अर्थात् प्रासंगिक या उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को लागू नहीं किया जा सकता है और न ही अन्य सहायक सामग्री पर ध्यान दिया जा सकता है, विशेष रूप से कराधान कानूनों में। वास्तव में, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक कराधान कानून में, किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है; उस संबंध में शब्दों के स्पष्ट अर्थ के लिए किया जाना चाहिए और यह कि मामला पूरी तरह से द्वारा शासित होना चाहिए

अधिसूचना की भाषा। कर कानून की व्याख्या में समानता का कोई स्थान नहीं है। कड़ाई से उपयोग की गई भाषा को देखना होगा; न तो इरादे की खोज के लिए कोई जगह है और न ही कोई अनुमान लगाने के लिए। इसके अलावा, एक कराधान क़ानून पर विचार करते समय आवश्यक निष्कर्षों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए और न ही कुछ निहित किया जाना चाहिए।

26. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने अपने ग्रंथ 'सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत' (14 वां संस्करण) में कहा। 2016 पी। - 879) री का उल्लेख करने के बाद,

मिकलेथवेट, (1885) 11 एक्स 452; पार्टिंगटन बनाम। ए. जी., (1869) एल. आर. 4 एच. एल. 100; राजस्थान राज्य सहकारी कताई और जिनिंग मिल्स

फेडरेशन लिमिटेड बनाम। डिप्टी सी. आई. टी., जयपुर, (2014) 11 एस. सी. सी. 672, राज्य [2018] 7 एस. सी. आर.

त्रावणकोर बनाम। आय कर आयुक्त, (1986) 2 एस. सी. सी. डी. केप ब्रांडी सिंडिकेट बनाम। आई. आर. सी., (1921) 1 के. बी. 64, का सारांश निम्नलिखित तरीके से दिया गया है:

" एक कराधान कानून का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। सुस्थापित

प्रभु वेन्सलेडेल के परिचित शब्दों में शासन, फिर से पुष्टि की गई

लॉर्ड हेल्सबरी और लॉर्ड साइमंड्स का अर्थ है: ' द.

उस उद्देश्य के लिए स्पष्ट शब्दों के बिना विषय पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए;

और यह भी कि संसद के प्रत्येक अधिनियम को उसके शब्दों के स्वाभाविक निर्माण के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। एक क्लासिक मार्ग में लॉर्ड कैर्न्स ने इस सिद्धांत को इस प्रकार बताया: अगर वह व्यक्ति बनना चाहता है कर कानून के अक्षर के भीतर आता है जिस पर उसे कर लगाया जाना चाहिए, न्यायिक दिमाग को कितनी भी बड़ी कठिनाई दिखाई दे सकती है। दूसरी ओर, यदि क्राउन कर की वसूली करना चाहता है, तो नहीं ला सकता है

कानून के पत्र के भीतर विषय स्वतंत्र है, हालांकि स्पष्ट रूप से कानून की भावना के भीतर मामला अन्यथा प्रतीत हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी भी कानून में स्वीकार्य है, जिसे न्यायसंगत निर्माण कहा जाता है, तो निश्चित रूप से, ऐसा निर्माण कर लगाने वाले कानून में स्वीकार्य नहीं है जहां आप केवल कानून के शब्दों का पालन कर सकते हैं। विस्कॉन्ट साइमन के साथ उद्धृत

आर. ओ. डब्ल्यू. एल. ए. टी., जे. के एक अंश को निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांत को व्यक्त करते हुए मंजूरी दी: एक कराधान अधिनियम में केवल उस पर ध्यान देना होता है जो स्पष्ट रूप से कहा गया है। यह किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है। कर के बारे में कोई इक्विटी नहीं है। कर के बारे में कोई अनुमान नहीं है। कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ भी निहित नहीं है। केवल निष्पक्ष रूप से देखा जा सकता है

उपयोग की गई भाषा में "।

एस ने आगे कहा:

" सभी कर मामलों में कर कानून की सख्ती से व्याख्या करनी होती है। केवल इसलिए कि कानूनी संस्थाओं के एक वर्ग को एक लाभ दिया जाता है जो अधिनियम में विशेष रूप से कहा गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि लाभ उन कानूनी संस्थाओं को दिया जा सकता है जिन्हें अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

कराधान के मामलों में कोई समानता नहीं है।

लाभ, यह देखा गया:

" इस प्रकार इसे कर कानून के एक सिद्धांत के रूप में लिया जा सकता है, जिस पर हालांकि अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए, यह नहीं भूलना चाहिए कि "विषय है

कर कानून के शब्दों के बिना कर नहीं लगाया जाएगा

स्पष्ट रूप से उस पर कर लगाया जाता है ", [रसेल बनाम। स्कॉट, (1948) 2 ऑल ईआर 1]। राजस्व अधिनियमों को लागू करने का उचित तरीका उपभोक्ता आयोग (आयात), मुंबई v है।

3. दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

बिना उनकी भाषा के एक निष्पक्ष और उचित निर्माण दें

एक या दूसरे पक्ष की ओर झुकना लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि कोई भी कर बिना शब्दों के लगाया नहीं जा सकता है जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करने का इरादा दर्शाता है

बोझ और शब्दों का न्यायसंगत निर्माण नहीं है

अनुमेय [ऑरमंड इन्वेस्टमेंट कंपनी. v. बेट्स, (1928) एसी 143]। कठिनाई, अन्याय या विसंगतियों पर विचार कर लगाने वाले कानूनों को समझने में कोई उपयोगी भूमिका नहीं निभाते हैं जब तक कि कुछ वास्तविक अस्पष्टता न हो। ओराम, (1969) 3 ऑल ई. आर. 215]। यह भी हुआ है

उन्होंने कहा कि यदि कर प्रावधान "इतनी स्पष्टता में अभाव है कि कोई अर्थ उचित रूप से स्पष्ट नहीं है, तो अदालतें इसे किसी भी प्रभाव के रूप में मानने में असमर्थ होंगी [आई. आर. सी. v. रॉस एंड कॉटलर, (1948) 1 ऑल ईआर 616]। " इस पहलू के बारे में विस्तार से बताते हुए विद्वान लेखक ने कहा:

बनाम ः

" इसलिए, यदि उपयोग किए गए शब्द अस्पष्ट और दो व्याख्याओं के लिए उचित हैं, तो विषय को व्याख्या का लाभ दिया जाता है। नगरपालिका समिति, वर्धा, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 341] यदि विधानमंडल स्वयं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में विफल रहता है और करदाता कानून के दायरे में नहीं लाए जाने से बच जाता है, इस तरह के अन्याय का कोई सवाल ही नहीं उठता [सी. आई. टी. v. जलगाँव विद्युत आपूर्ति कंपनी, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1182]। लेकिन न्यायसंगत विचार

कर कानून, [सी. आई. टी., डब्ल्यू. बी. वी. के अर्थ में प्रासंगिक नहीं हैं। सेंट्रल इंडिया इंडस्ट्रीज, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 397], और इसी तरह तर्क या कारण

कर कानून की व्याख्या करने में बहुत अधिक लाभ नहीं हो सकता है [आज़म झा बनाम। व्यय कर अधिकारी, हैदराबाद, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2319] यह अच्छी तरह से तय है कि कराधान के क्षेत्र में, कठिनाई या इक्विटी नहीं है

कर की पात्रता निर्धारित करने में भूमिका निभानी है और यह इसके लिए है

विधानमंडल उसी का निर्धारण करेगा [कपिल मोहन बनाम। कॉम. आयकर विभाग, दिल्ली, ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 573]। इसी तरह, स्टाम्प लगाने वाले प्रावधानों की व्याख्या करने में कठिनाई या समानता प्रासंगिक नहीं है।

कर्तव्य, जो एक कर है, और न्यायालय को विधानमंडल के इरादे से चिंतित नहीं होना चाहिए जब ऐसी भाषा व्यक्त की जाती है

इरादा स्पष्ट और स्पष्ट है [मध्य प्रदेश राज्य बनाम। राकेश कोहली और अन्र।, (2012) 6 एस. सी. सी. 312] लेकिन जिस तरह इक्विटी पर निर्भरता एक निर्धारिती का लाभ नहीं उठाती है, उसी तरह यह लाभ नहीं उठाती है

राजस्व "।

ऊपर निकाले गए अंश, कम से कम दो निर्णयों में इस टी द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किए गए थे जिनमें आयकर आयुक्त बनाम इरी संस लिमिटेड, (1999) 3 एस. सी. सी. 346 और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एस.

केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2004) 10 एस. सी. सी. 201 [इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'केसोरम इंडस्ट्रीज केस' के रूप में संदर्भित]। बाद के निर्णय में, सात न्यायाधीशों की एक पीठ ने न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह के ग्रंथ से उपरोक्त अंश का हवाला देने के बाद, एक कर कानून की व्याख्या के लिए लागू निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश दिया:

" (i) एक कर कानून की व्याख्या करने में, न्यायसंगत विचार पूरी तरह से अनुचित हैं। एक कर कानून की व्याख्या किसी भी अनुमान या धारणा पर नहीं की जा सकती है। एक कर कानून होना चाहिए

धारा में उपयोग किए गए स्पष्ट शब्दों द्वारा अनुभाग; और (iii) यदि शब्द अस्पष्ट हैं और दो व्याख्याओं के लिए खुले हैं, तो व्याख्या का लाभ विषय को दिया जाता है और यदि कानून का पत्र उसे पकड़ने में विफल रहता है तो करदाता के भागने में कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है। स्वयं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में विधानमंडल की विफलता का कारण "।

विषय से। बाद के मामलों में, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को यह कहते हुए कमजोर कर दिया कि छूट खंड की अनिवार्य आवश्यकताओं की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और इस तरह की छूट अधिसूचना की निर्देशिका शर्तों को माफ किया जा सकता है यदि इसका पर्याप्त अनुपालन है। मुख्य आवश्यकताएँ। हालाँकि, यह किसी भी तरह से इस दृष्टिकोण से छेड़छाड़ नहीं करता है कि एक अस्पष्ट छूट खंड की व्याख्या राजस्व के पक्ष में की जानी चाहिए। यहाँ फिर से इस न्यायालय ने अलग-अलग परीक्षण लागू किए जब

छूट अधिसूचना की अस्पष्टता पर विचार करते हुए जिसमें सख्त निर्माण की आवश्यकता होती है और अधिसूचना को लागू करने के चरण में ऐसा करने के बाद, यह निष्कर्ष निकला कि किसी को भी उदारता से विचार करना होगा।

28. उपरोक्त समझ के साथ अब मुख्य मुद्दे पर विचार करने का चरण तैयार हो गया है। छूट अधिसूचना में अस्पष्टता की स्थिति में, क्या इस तरह की अस्पष्टता का लाभ विषय/निर्धारिती को जाना चाहिए या इस तरह की अस्पष्टता को राजस्व के पक्ष में समझा जाना चाहिए, जिससे विषय/निर्धारिती को छूट का लाभ नहीं मिलना चाहिए? छूट अधिसूचना की व्याख्या के इस क्षेत्र में कई मामले कानून हैं, जिन पर हमें यहां विचार करने की आवश्यकता है।

इनलैंड कमिश्नर ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स (इम्पोर्ट) का मामला, मुंबई v.

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

राजस्व बनाम जेम्स फॉरेस्ट, [(1890) 15 एसी 334 (एचएल)] एक ऐसा मामला है जो छूट पर लागू होने वाले व्याख्यात्मक परीक्षण पर चर्चा नहीं करता है। एक कराधान कानून में खंड-हालांकि, यह माना गया कि यह मान लेना अनुचित होगा कि एक छूट व्यापक थी

कर को निष्क्रिय बनाने के लिए व्यवहार्य, कि यह नहीं माना जा सकता है कि यह विधानमंडल के दिमाग में था और कर से कुछ हद तक छूट ने समुदाय के अन्य सदस्यों पर बोझ बढ़ा दिया। हालांकि यह लॉर्ड हैल्सबरी, एल. सी. का एक असहमत दृष्टिकोण है, बाद के निर्णयों में इसका समर्थन करने के लिए इसे स्पष्ट रूप से उद्धृत किया गया है

यह निष्कर्ष निकालना कि छूट खंडों में कोई भी अस्पष्टता राजस्व के लाभ के लिए जानी चाहिए। चाहे जो भी हो, हमारे देश में कम से कम 1955 से, एक सुसंगत दृष्टिकोण प्रतीत होता है कि यदि किसी कर कानून (छूट खंड नहीं) में शब्द अस्पष्ट हैं और दो व्याख्याओं के लिए खुले हैं, तो व्याख्या का लाभ विषय को दिया जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करदाता विधानमंडलों द्वारा खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में विफलता के कारण कर के दायरे से बच जाता है (केसोरम उद्योग मामले (उपरोक्त) से ऊपर निकाला गया मार्ग देखें)।

29. पहला मामला जिसके साथ हमें खुद को चिंतित करने की आवश्यकता है, वह भारत संघ बनाम का मामला है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, पश्चिम बंगाल

और ओआरएस। , ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 202 यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस मामले को इस न्यायालय के पांच विद्वान न्यायाधीशों द्वारा निपटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप दो अलग-अलग राय थीं; भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास द्वारा

बहुमत, और न्यायमूर्ति बी. पी. सिन्हा (उनके प्रभु के रूप में तब) अल्पसंख्यक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे थे। इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या एक निजी मिल द्वारा भारत सरकार, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय को की गई वस्तुओं की बिक्री को बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 (1941 का बंगाल अधिनियम VI) की धारा 5 के तहत दी गई छूट के लिए मिल के कर योग्य कारोबार के रूप में काटा जाना था। बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 की धारा 5 (2) (ए) (iii) के तहत छूट भारतीय भंडार विभाग, आपूर्ति विभाग को 'बिक्री' के लिए छूट प्रदान करती है।

भारत सरकार का विभाग, और कोई भी रेलवे या जल परिवहन प्रशासन '। न्यायालय को उपरोक्त प्रावधान की व्याख्या करनी थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या भारत सरकार, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय को की गई बिक्री इस धारा के अंतर्गत आएगी।

30. बहुमत का विचार था कि भारत सरकार, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय छूट अधिसूचना में उल्लिखित लोगों के समान नहीं था। अधिकांश लोग बड़े पैमाने पर [2018] 7 एस. सी. आर. पर निर्भर थे।

उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय का इतिहास और उत्पत्ति और यह निष्कर्ष निकालना कि उपरोक्त मंत्रालय के कार्य छूट प्रावधान के तहत उल्लिखित पूर्ववर्ती विभागों से अलग थे। बहुमत ने तर्क दिया कि छूट कानून का निर्माण होने के कारण, इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और व्याख्या को अन्य विभागों को बिक्री तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। हम एक सख्त निर्माण की सामग्री के बारे में भी कुछ सुराग पा सकते हैं। न्यायालय के समक्ष यह दावा किया गया कि संबंधित कानून की धारा 5 (2) (ए) (iii) का उद्देश्य विशेष विभागों को छूट देना नहीं था, बल्कि उनकी बिक्री करना था।

उन विभागों को ऐसी वस्तुएँ और इसलिए, भारत सरकार के किसी भी विभाग को की गई उन वस्तुओं की बिक्री, जिन पर उन वस्तुओं को खरीदने का शुल्क लगाया गया था, भी छूट के दायरे में आनी चाहिए। न्यायालय ने उपरोक्त व्याख्या को पलटते हुए निम्नानुसार तर्क दिया:

" हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह व्याख्या छूट के दायरे और दायरे को अनुचित रूप से सीमित कर देगी और इसे केवल उन वस्तुओं की बिक्री तक सीमित कर देगी, क्योंकि अधिनियम की तारीख में, उन दो विभागों को बेचा जाता था और उन दो विभागों को भी अन्य वस्तुओं की बिक्री, चाहे युद्ध के अभियोजन के लिए कितना भी आवश्यक क्यों न हो, छूट का लाभ नहीं मिलेगा। संभवत: विधानमंडल का इरादा ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि उसके द्वारा प्रारूपण में उपयोग की गई भाषा में व्यक्त किया गया है।

अनुभाग।"

31. उपरोक्त स्थिति इस तथ्य का संकेत देती है कि न्यायालयों ने इरादे को समझने के लिए सख्त व्याख्या के नियम का उपयोग किया

विधान-मंडल और उसके बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई छूट के लिए उचित व्याख्या प्रदान करता है जो न तो बहुत संकीर्ण थी और न ही बहुत व्यापक थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बहुमत ने इस बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया कि सख्त व्याख्या का शाब्दिक अर्थ क्या होगा; बल्कि उन्होंने विधानमंडल के वस्तुनिष्ठ इरादे के अनुसार क़ानून के अर्थ का पता लगाने के लिए विधायी इरादे को जोड़ा।

32. इसके विपरीत, न्यायमूर्ति बी. पी. सिन्हा की अल्पमत राय (उस समय उनके प्रभु के रूप में) ने अनुभाग के लिए एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्रदान की। 5 (2) (क) अधिनियम का (iii), जो निम्नलिखित परिच्छेद से स्पष्ट है:

" अपील के तहत निर्णय मुख्य रूप से इस विचार पर आधारित है कि विचाराधीन छूट खंड नए बनाए गए विभाग को संदर्भित नहीं करता है जो अब ग्राहकों के आयुक्त (आयात), मुंबई v के नाम से जाता है।

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय। लेकिन यह विभाग जहां तक उद्योग से संबंधित है, भारत सरकार की मुख्य खरीद गतिविधियों से संबंधित नहीं है। यह छूट भारत सरकार की खरीद गतिविधि के संबंध में दी गई थी और यह कार्य आपूर्ति को सौंपा जाना जारी है।

विभाग जो अब सरकार के नवनिर्मित विभाग का एक अंग बन गया है। इसलिए सवाल यह उठता है कि क्या उन परिस्थितियों में भारत सरकार छूट का लाभ ले सकती है। उच्च न्यायालय ने उस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए केवल नामकरण किया है। इसने नाम में परिवर्तन पर जोर दिया है और इसकी अनदेखी की है

विषय का सार "।

33. अल्पसंख्यकों ने 'सख्त व्याख्या' को एक ऐसी व्याख्या के रूप में माना जिसमें कम से कम संख्या 'के संदर्भ में निर्धारित होती है

मात्रा "छूट के अंतर्गत आएगी। अल्पसंख्यक ने अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम के एक पुराने अंग्रेजी मामले का उल्लेख किया। जेम्स फॉरेस्ट,

(1890) 15 एसी 334। यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि अल्पसंख्यकों को छूट के रूप में सख्त व्याख्या लागू करने का औचित्य नहीं मिला।

अधिसूचना भारत सरकार द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के लिए छूट को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक थी। अदालत की राय थी कि बहुमत द्वारा प्रदान की गई सख्त व्याख्या अनावश्यक थी क्योंकि इस तरह की छूट देने से दूसरों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं था।

प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार हैं -

" उच्च न्यायालय ने अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम के मामले में लॉर्ड हैल्सबरी की टिप्पणियों का उल्लेख किया। जेम्स फॉरेस्ट (1890) 15 अधिनियम 334, इस प्रभाव के लिए कि कराधान से छूट का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए क्योंकि अन्यथा कराधान का बोझ समुदाय के अन्य सदस्यों पर पड़ेगा। उन टिप्पणियों की, मेरी राय में, वर्तमान विवाद के तथ्यों और परिस्थितियों से कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ वस्तुओं की खरीद से संबंधित विभाग में भारत सरकार को छूट दी गई थी और

मात्रा के संदर्भ के बिना लेख। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है,

भारतीय भंडार विभाग सरकार के सभी केंद्रीय विभागों और स्थानीय सरकार आदि की ओर से सार्वजनिक सेवाओं के लिए भंडारों की खरीद से संबंधित था, और उस समय गठित बंगाल सरकार भारत के

उन प्रांतों में से एक थी जो [2018] 7 एस. सी. आर. बनाने के लिए सब्सिडी और अनुदान प्राप्त कर रही थी।

उनके बजट में कमी। वास्तव में, जैसा कि बंगाल सरकार की ओर से कहा गया है, यह रियायत बंगाल प्रांत के भीतर व्यापारिक समुदायों को सक्षम बनाने के लिए दी गई थी। सरकार की जरूरतों की आपूर्ति के मामले में बंगाल के बाहर अन्य लोगों के साथ अनुकूल शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करें। इसलिए, छूट के उदार निर्माण का कोई सवाल ही नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अन्य नागरिकों पर अधिक बोझ पड़ेगा। दूसरी ओर,

बंगाल प्रांत में जितनी अधिक बिक्री होती थी, व्यापार करने वाले व्यापारिक समुदाय को उतना ही अधिक लाभ होता था।

कई करोड़। मुझे सोचना चाहिए था कि बंगाल प्रांत के व्यापारिक समुदाय को इसका लाभ मिला है बिक्री के लेन -देन, बंगाल सरकार को पूरी निष्पक्षता में भारत सरकार की खरीद एजेंसी को छूट का लाभ तब तक देना चाहिए था जब तक कि वह लाभ शर्तों में न हो।

कभी-कभी 1949 की शुरुआत में वापस ले लिया गया।

34. हंसराज गोरधनदास बनाम। एच. एच. डेव, सहायक। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के कलेक्टर, सूरत और अन्य। , ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 755 = (1969) 2 एस. सी. आर. 253 [इसके बाद के लिए 'हंसराज गोरधनदास मामला' के रूप में संदर्भित किया गया है।

संक्षिप्तता], जिसमें इस न्यायालय को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत जारी छूट अधिसूचना की व्याख्या करने के लिए कहा गया था। न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले को जन्म देने वाले तथ्यात्मक संदर्भ को समझना प्रासंगिक होगा। अपीलार्थी एकमात्र स्वामी था जो संबंधित अवधि के दौरान एक सहकारी समिति से कपास की खरीद करता था। सोसायटी ने अपीलार्थी के लिए बुनाई का काम रुपये में निश्चित बुनाई शुल्क के भुगतान पर करने पर सहमति व्यक्त की थी। 0. 19 एन. पी. प्रति यार्ड जिसमें समाज को उपरोक्त सूती कपड़े के परिवहन में खर्च करना पड़ता था। वर्ष 1959 और 1960 में, सरकार ने एक छूट अधिसूचना जारी की जिसमें सूती कपड़ों को छूट दी गई थी 31 मार्च, 1961 को या उससे पहले पंजीकृत सूती बिजली करघों के मालिकों द्वारा गठित किसी भी सहकारी समिति द्वारा उत्पादित। न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि जिस अपीलार्थी ने किसी पंजीकृत सहकारी समिति से सूती कपड़े का उत्पादन कराया था, क्या वह भी उपरोक्त अधिसूचना के दायरे में आता है। यह कुछ महत्व का हो सकता है कि राजस्व ने यह तर्क देते हुए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर भरोसा करके उपरोक्त छूट की व्याख्या करने का प्रयास किया कि उपभोक्ता आयुक्त (आयात) को देने का उद्देश्य, मुंबई v.

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

उपरोक्त छूट उन सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करने के लिए थी जो न केवल सूती कपड़ों का उत्पादन करती थीं, बल्कि उन सदस्यों को भी शामिल करती थीं, जो न केवल स्वामित्व रखते थे, बल्कि वास्तव में सोसायटी में शामिल होने से ठीक पहले तीन वर्षों के दौरान चार से अधिक बिजली करघों का संचालन नहीं करते थे। नीति यह थी कि प्रत्येक के बजाय

जो सदस्य अपने करघों का संचालन खुद करता है, उसे कपड़ों का उत्पादन करने के लिए एक समाज बनाकर दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि उत्पादित माल जिसके लिए छूट का दावा किया जा सकता है, वह माल होना चाहिए स्वयं और समाज की ओर से निर्मित। अदालत ने इस तरह की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कर लगाने वाले कानून की व्याख्या पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा से की जानी चाहिए। प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार हैं:

" यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक कर कानून में किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए शब्दों का अर्थ। पूरा मामला पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा द्वारा नियंत्रित होता है। यदि करदाता छूट की स्पष्ट शर्तों के भीतर है तो उसे छूट देने वाले प्राधिकारी के किसी भी कथित इरादे की सहायता के लिए कॉल करके इसके लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि इस तरह के इरादे को अधिसूचना के शब्दों के निर्माण या उससे आवश्यक निहितार्थ से एकत्र किया जा सकता है, तो मामला अलग है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इस संबंध में हम लॉर्ड वॉटसन की टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं।

सालोमोन बनाम सालोमोन एंड कंपनी, (1897) एसी 22):

' विधानमंडल का आशय एक सामान्य लेकिन बहुत ही फिसलन भरा वाक्यांश है, जिसे लोकप्रिय रूप से समझा जाता है, जो सकारात्मक अधिनियम में सन्निहित इरादे से लेकर अटकलबाजी वाली राय तक कुछ भी दर्शाता है कि विधानमंडल का शायद क्या अर्थ होता, हालांकि इसे लागू करने में चूक की गई है। विधि या समता के न्यायालय में, विधानमंडल क्या करने का इरादा रखता है या क्या नहीं करना चाहता है, यह केवल उसी से वैध रूप से निर्धारित किया जा सकता है जिसे उसने अधिनियमित करने के लिए चुना है।

या तो स्पष्ट शब्दों में या उचित और आवश्यक रूप से

निहितार्थ '। यह इस सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है कि एक सांविधिक अधिसूचना को बढ़ाया नहीं जा सकता है ताकि एक मामला चूक को पूरा किया जा सके। जैसा कि क्रॉफर्ड बनाम में प्रिवी काउंसिल के फैसले में दिखाई देता है। चम्मच।

' ..... हम विधानमंडल के अधिनियम के दोषपूर्ण वाक्यांश की सहायता नहीं कर सकते हैं, हम जोड़ नहीं सकते हैं, और सुधार नहीं कर सकते हैं, और निर्माण द्वारा, उन कमियों को पूरा कर सकते हैं जो वहां बची हैं।"

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाताओं के लिए सीखा हुआ वकील संभवत: सही है

हथकरघा कपड़े के वास्तविक निर्माताओं को बदलने के लिए प्रोत्साहित करें सहकारी में खुद को गठित करके बिजली के करघों पर

समाज। लेकिन अधिसूचनाओं के संचालन का आकलन करना होगा।

उस उद्देश्य से नहीं जो नियम बनाने वाले प्राधिकारी के दिमाग में था, लेकिन उन शब्दों द्वारा जिनका उपयोग इसने विधायी को प्रभावी बनाने के लिए किया है

इरादा "।

35. भारत संघ में दो विद्वान न्यायाधीशों के निर्णय में v.

वुड पेपर्स लिमिटेड, (1990) 4 एस. सी. सी. 256 [इसके बाद के रूप में संदर्भित

वुड पेपर्स लिमिटेड केस 'संक्षिप्तता के लिए], के चरण के बीच एक अंतर

छूट प्राप्त करने की पात्रता का पता लगाने और छूट की प्रकृति को लागू करने का चरण बनाया गया था। कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज बनाम पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड, (1989) 1 एस. सी. सी. 345 के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "प्रयोज्यता के स्तर पर दायरे का विस्तार या विस्तार न करें।

लेकिन एक बार जब वह बाधा पार हो जाए, तो इसे उदारता से समझें। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण वुड पेपर्स लिमिटेड केस (उपरोक्त) के पैरा 4 में पाया जाता है, जिसमें लिखा है -

" ..... शाब्दिक रूप से छूट दायित्व, कर या शुल्क से मुक्ति है।

राजकोषीय रूप से, यह अलग-अलग आकार धारण कर सकता है, विशेष रूप से, एक बढ़ते हुए क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था। उदाहरण के लिए नई इकाइयों के लिए कर अवकाश, रियायती

सीमित अवधि के लिए या विशिष्ट अवधि के लिए वस्तुओं या व्यक्तियों पर कर की दर

उद्देश्य आदि। यही कारण है कि इसका निर्माण, चार्जिंग के विपरीत

प्रावधान, विभिन्न टचस्टोन पर परीक्षण किया जाना है। वास्तव में, एक

छूट का प्रावधान एक अपवाद की तरह और सामान्य सिद्धांत पर है। विधियों के निर्माण या व्याख्या का इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाता है

या तो विधायी इरादे के कारण या आर्थिक औचित्य पर

राजकोषीय प्रावधानों का असमान बोझ या प्रगतिशील दृष्टिकोण

राज्य के राजस्व को बढ़ाने का इरादा। लेकिन एक बार अपवाद या छूट लागू हो जाती है कोई नियम या सिद्धांत इसकी आवश्यकता नहीं है

सख्ती से समझा जाए। सच में उदार और सख्त बोलते हुए एक छूट प्रावधान का निर्माण किया जाना है

इसकी व्याख्या के विभिन्न चरणों में। सवाल यह है कि

क्या कोई विषय अधिसूचना में आता है या छूट में

खंड तब यह अपवाद की प्रकृति में होने का अर्थ लगाया जाना है

सख्ती से और विषय के खिलाफ, लेकिन एक बार अस्पष्टता या संदेह

प्रयोज्यता के बारे में उठाया जाता है और विषय में आता है अधिसूचना तब इसे पूरा खेल दिया जाना चाहिए और यह कॉल करता है

एक व्यापक और उदार निर्माण के लिए "।

(जोर दिया गया)

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई v.

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

36. मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम डी. वाणिज्यिक करों के मिशनर, (1992) सप। 1 एस. सी. सी. 21 [संक्षिप्तता के लिए इसके बाद 'मैंगलोर केमिकल्स केस' के रूप में संदर्भित], मामले के तथ्य यह थे कि राज्य सरकार ने कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957 की धारा 8-ए के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें उद्यमियों को कुछ प्रोत्साहन प्रदान किए गए थे।

राज्य की नीति के अनुसार राज्य में उद्योग "तेजी से"

औद्योगीकरण "। अधिसूचना में राहत और प्रोत्साहनों का एक पैकेज शामिल है, जिसमें एक बिक्री कर के भुगतान से राहत से संबंधित है, जिसके साथ मामला संबंधित था। इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि अपीलार्थी 30 जून, 1969 की अधिसूचना के लाभ का हकदार था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं था कि रिफंड संबंधित वर्षों के लिए देय बिक्री कर के खिलाफ समायोजित किए जाने के योग्य थे। एकमात्र विवाद यह था कि क्या अपीलार्थी, जिसने वास्तव में "पूर्व अनुमति" प्राप्त नहीं की है, 11 अगस्त, 1975 की अधिसूचना के शब्दों को ध्यान में रखते हुए समायोजन का हकदार होगा, कि "जब तक वाणिज्यिक कर उपायुक्त द्वारा नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक नए उद्योग को धनवापसी को समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए"। उसमें अपीलार्थियों का तर्क था कि तीन वर्षों के लिए अनुमति संबंधित वर्षों के शुरू होने से बहुत पहले मांगी गई थी, लेकिन उन कारणों से रोक दी गई थी जो स्पष्ट रूप से थे।

असाधारण। इसलिए, तर्क यह था कि यदि, इन परिस्थितियों में, उपायुक्त अनुमति को वापस ले सकते हैं।

37. यह न्यायालय द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को स्वीकार करते हुए

अपीलार्थी, छूटों से संबंधित प्रावधान के सख्त निर्माण के पहलू पर निम्नलिखित रूप में देखा गया:

..... इस विचार का न्यायिक राय का समर्थन है कि कराधान से छूट की प्रवृत्ति कर दाताओं के अन्य गैर-छूट प्राप्त वर्ग पर बोझ बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती है और यह होनी चाहिए:

अस्पष्टता के मामले में विषय के खिलाफ समझा जाता है। यह एक समान रूप से प्रसिद्ध सिद्धांत है कि एक व्यक्ति जो छूट का दावा करता है

उसका मामला स्थापित करने के लिए।

एक सख्त और एक उदार निर्माण के बीच चयन केवल विधायिका के इरादे के संबंध में संदेह के मामले में उत्पन्न होता है।

वैधानिक भाषा पर प्रकट। वास्तव में, किसी भी व्याख्यात्मक प्रक्रिया का सहारा लेने की आवश्यकता केवल तभी उत्पन्न होती है जब क़ानून के सादे शब्दों पर अर्थ प्रकट नहीं होता है। यदि शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं और सीधे अर्थ व्यक्त करते हैं, तो [2018] 7 एस. सी. आर. की कोई आवश्यकता नहीं है।

कोई भी व्याख्या। यह हमें प्रतीत होता है कि छूट के बारे में एक प्रावधान के निर्माण का सही नियम इस न्यायालय द्वारा कहा गया है।

भारत संघ बनाम। वुड पेपर्स लिमिटेड [(1990) 4 एस. सी. सी. 256 = 1990

एससीसी (कर) 422 = जेटी (1991) एससी 151] "

चर्चा से जो तीन महत्वपूर्ण पहलू निकलते हैं, वे हैं इस न्यायालय द्वारा सख्त व्याख्या के अनुप्रयोग के लिए एक विचार के रूप में क्षैतिज समानता की मान्यता, स्पष्ट अर्थ नियम के लिए सख्त व्याख्या का अधीनता और अस्पष्टता के प्रकाश में बहिष्करण के पक्ष में व्याख्या।

38. अब हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम में एक और संविधान पीठ के फैसले पर विचार करेंगे। हरि चंद श्री

गोपाल, (2011) 1 एस. सी. सी. 236 [इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'हरि चंद केस' के रूप में संदर्भित]। हमें उस मामले के तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जिसने संवैधानिक पीठ के समक्ष विचार के लिए प्रश्नों को जन्म दिया। के. एस. राधाकृष्णन, जे., जिन्होंने सर्वसम्मत राय लिखी

संविधान पीठ ने प्रश्न तैयार किया। , क्या किसी निर्दिष्ट अंतिम उत्पाद का निर्माता केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अनुसूची के अंतर्गत आता है प्रशुल्क अधिनियम, 1985 केंद्रीय प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट मध्यवर्ती वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।

सरकारी अधिसूचना दिनांक 11.08.1994, यदि अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए इस आधार पर आकर्षक रूप से उपभोग किया जाता है कि प्राप्तकर्ता के अंत में उसके द्वारा रखे गए रिकॉर्ड केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1994 के अध्याय 10 में निर्धारित प्रक्रिया के साथ इसके "इच्छित उपयोग" और "पर्याप्त अनुपालन" का संकेत देंगे? उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए संविधान पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि छूट प्राप्त करने के लिए योग्य निर्माता को छूट का दावा करने के लिए पूर्व शर्तों का पालन करना आवश्यक था और इसलिए उसे नियमों में निहित वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने से छूट या छूट नहीं दी गई है। संविधान पीठ ने तब तय किए गए सिद्धांतों पर विचार किया और दोहराया कि छूट खंड का निर्माण, पालन की जाने वाली अनिवार्य आवश्यकताओं और पात्रता मानदंडों के बीच का अंतर उन शर्तों के संदर्भ में जिनका सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है और जिन शर्तों का पर्याप्त रूप से पालन करने की आवश्यकता है। संविधान पीठ ने हंसराज गोरधनदास मामले में अनुपात का पालन किया

(उपर्युक्त), अनुच्छेद 29 में छूट खंड की व्याख्या के पहलू पर कानून को निम्नानुसार दोहराना- उपभोक्ता आयोग (आयात), मुंबई v.

3. दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

" कानून अच्छी तरह से तय है कि छूट या रियायत का दावा करने वाले व्यक्ति को यह स्थापित करना होगा कि वह उस छूट या रियायत का हकदार है। छूट, रियायत या अपवाद, जैसा भी मामला हो, प्रदान करने वाले प्रावधान का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए - कुछ अपवाद उन व्यवस्थाओं के आधार पर हैं जिन पर

कानून और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य में प्रावधान रखा गया है। यदि कुछ शर्तों का पालन करने पर छूट उपलब्ध है, तो शर्तों का पालन करना होगा। अनिवार्य उन शर्तों की आवश्यकताओं का पालन या पूरा किया जाना चाहिए।

ठीक है, कभी-कभी सोचा, कुछ अक्षांश दिखाया जा सकता है, अगर वहाँ है

कुछ आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता जो निर्देशिका में हैं प्रकृति, जिसका गैर-अनुपालन सार को प्रभावित नहीं करेगा

या छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना का सार। 39. संविधान पीठ ने तब इस सिद्धांत पर विचार किया कि

विरोधी अनुपालन और "इच्छित उपयोग"। संबंधित भागों

पैराग्राफ 31 से 34 में वेशन निम्नलिखित शब्दों में हैं।

" 31. बेशक, छूट अधिसूचना के कुछ प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका हो सकते हैं और कुछ प्रकृति में अनिवार्य हैं। ए.

एक कानून के प्रावधानों के बीच अंतर जो हैं

एक ओर नीति के उद्देश्यों और दूसरी ओर जो केवल प्रक्रियात्मक और तकनीकी प्रकृति के हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से अलग रखा जाना चाहिए। पर्याप्त अनुपालन और "इच्छित उपयोग" का सिद्धांत

32. पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत एक न्यायिक आविष्कार है,

प्रकृति में न्यायसंगत, उन मामलों में कठिनाई से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां एक पक्ष वह सब करता है जो उचित रूप से उससे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कुछ छोटे या असंगत पहलुओं में विफल या त्रुटिपूर्ण है जिन्हें आवश्यकताओं के "सार" या "सार" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। "तर्कसंगतता" की अवधारणा की तरह, "पर्याप्त अनुपालन" की याचिका की स्वीकृति या अन्यथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और इसके उद्देश्य और उद्देश्य पर निर्भर करता है।

नियम या विनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाओं का संदर्भ। इस तरह के बचाव को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है यदि एक स्पष्ट वैधानिक पूर्व शर्त जो क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावित करती है [2018] 7 एस. सी. आर.

मुलाकात नहीं हुई। निश्चित रूप से, इसका अर्थ है कि न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या क़ानून का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है ताकि इसे लागू किया जा सके।

जिस इरादे के लिए क़ानून लागू किया गया था, न कि सख्त अनुपालन की दर्पण छवि। पर्याप्त अनुपालन का अर्थ है "कानून के प्रत्येक उचित उद्देश्य के लिए आवश्यक पदार्थ के संबंध में वास्तविक अनुपालन" और न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कानून का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है ताकि इसे पूरा किया जा सके।

कानून के आशय को स्पष्ट करना और उन उचित उद्देश्यों को पूरा करना जिनके लिए इसे पारित किया गया था।

33. एक राजकोषीय क़ानून आम तौर पर महत्वपूर्ण नियामक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को बनाए रखने का प्रयास करता है, विशेष रूप से जब कोई पक्ष एक छूट खंड का लाभ चाहता है जो महत्वपूर्ण है। एक अधिनियम के साथ पर्याप्त अनुपालन पर जोर दिया जाता है, जहां अनिवार्य और निर्देशिका आवश्यकताओं को एक साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसे मामले में, यदि अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया जाता है, तो यह कहना उचित होगा कि निर्देशिका आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के बावजूद अधिनियम का काफी हद तक पालन किया गया है। ऐसे मामलों में जहां पर्याप्त अनुपालन पाया गया है, कानून का वास्तविक अनुपालन हुआ है, हालांकि प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण है। पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत उन शर्तों या आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को बनाए रखने का प्रयास करता है जो कर या शुल्क छूट का आह्वान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और गैर-महत्वपूर्ण और वास्तविक आवश्यकताओं या आवश्यकताओं के लिए गैर-अनुपालन को क्षमा करने का प्रयास करता है जो इतने भ्रमित या गलत तरीके से लिखे गए हैं कि अनुपालन के लिए एक गंभीर प्रयास को स्वीकार किया जाना चाहिए।

34. पर्याप्त अनुपालन सिद्धांत की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए परीक्षण असंख्य मामलों का विषय रहा है और अक्सर, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आवश्यकताएं इस सिद्धांत के "सार" या "सार" से संबंधित हैं।

कानून, यदि ऐसा है, तो उन आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन उस सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए एक पूर्व शर्त है। दूसरी ओर, यदि आवश्यकताएँ प्रक्रियात्मक या निर्देशिका हैं जिसमें वे किए जाने वाले कार्य के "सार" की नहीं हैं, लेकिन व्यवसाय के व्यवस्थित संचालन को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं, तो उन्हें पूरा किया जा सकता है

पर्याप्त, यदि सख्त अनुपालन नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक मात्र

अनुपालन का प्रयास पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन उन कारकों का वास्तविक अनुपालन जो आवश्यक माने जाते हैं। ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई v.

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

40. विभिन्न प्राधिकरणों पर विचार करने के बाद, जिनमें से कुछ ऊपर बताए गए हैं, हम यह देखने के लिए मजबूर हैं कि यह कहना कितना सच है कि व्याख्या के संबंध में कानून की असंतोषजनक स्थिति मौजूद है।

छूट खंड। विभिन्न पीठों ने एक तरफ कर कानून की व्याख्या और छूट अधिसूचना के सवाल का फैसला किया

दूसरी ओर, मोटे तौर पर यह मान लिया है (हम यह कहना उचित मानते हैं) कि कर कानून की व्याख्या में स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है: यह कानून है कि कर कानून में कोई भी अस्पष्टता विषय/निर्धारिती के लाभ के लिए होनी चाहिए, लेकिन छूट अधिसूचना के छूट खंड में कोई भी अस्पष्टता राजस्व के पक्ष में प्रदान की जानी चाहिए-और

ऐसी छूट का लाभ केवल उन विषयों/मूल्यांकनकर्ताओं को लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो यह प्रदर्शित करते हैं कि छूट का मामला पूरी तरह से अधिसूचना में उल्लिखित मापदंडों के भीतर आता है और दावेदार छूट का लाभ उठाने के लिए सभी पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करते हैं। संभवतः इसी कारण से सुरेंद्र कॉटन ऑयल मिल्स मामले (उपरोक्त) का फैसला करने वाली पीठ ने कहा कि कानून की असंतोषजनक स्थिति मौजूद है और जिस पीठ ने मामले को शुरू में भेजा था, उसने सूर्य निर्यात मामले (उपरोक्त) में इस निष्कर्ष पर गंभीरता से संदेह किया कि एक मामले में अस्पष्टता

छूट अधिसूचना की व्याख्या निर्धारिती के पक्ष में की जानी चाहिए।

41. विभिन्न उदाहरणों की पूरी तरह से जांच करने के बाद, जिनमें से कुछ हमारे सामने उद्धृत किए गए थे और हमारे चिंतित विचार करने के बाद, हम यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा और यह मानने के लिए भी मजबूर होंगे कि शुल्क, गणना और छूट खंड (सीमा स्तर पर) सहित प्रत्येक कर लगाने वाली मूर्ति की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रभार के प्रावधानों में अस्पष्टता के मामले में, लाभ अनिवार्य रूप से विषय/निर्धारिती के पक्ष में जाना चाहिए, लेकिन यह छूट अधिसूचना के लिए सच नहीं है जिसमें अस्पष्टता के लाभ की सख्ती से राजस्व/राज्य के पक्ष में व्याख्या की जानी चाहिए।

42. गोविंद सरन गंगा सरन बनाम। बिक्री कर आयुक्त, 1985 का उपबंध (एस. सी. सी.) 205, इस न्यायालय ने एक कर कानून के तीन घटकों की ओर इशारा किया, अर्थात् कर का विषय; कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति; और वह दर जिस पर कर लगाया जाना है। यदि कोई अस्पष्टता है

किसी भी घटक को समझते हुए, तब तक कोई कर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि

अस्पष्टता या दोष को विधायिका द्वारा हटा दिया जाता है [माथुरम अग्रवाल बनाम देखें। मध्य प्रदेश राज्य, (1999) 8 एस. सी. सी. 667; भारतीय बैंक संघ बनाम देवकला परामर्श सेवा, (2004) 4

जे. टी. 587 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2615; और उपभोक्ता ऑनलाइन फाउंडेशन बनाम भारतीय संघ, (2011) 5 एस. सी. सी. 360।] [2018] 7 एस. सी. आर

43. इसके लिए प्रचुर न्यायशास्त्रीय औचित्य है। लिखित संविधान द्वारा कानून के शासन के शासन में, कराधान की कोई निहित शक्ति नहीं है। कर की शक्ति विशेष रूप से प्रदान की जानी चाहिए और यह पूरी तरह से संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार होनी चाहिए। यही कारण है कि न्यायालय किसी राज्य की मांग और उससे धन निकालने से पहले सख्त अनुपालन पर जोर देते हैं।

विभिन्न करों के लिए नागरिक। इसलिए, कराधान प्रावधान में किसी भी अस्पष्टता की व्याख्या विषय/निर्धारिती के पक्ष में की जाती है। कानून का यह कथन कि कर कानून में अस्पष्टता की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और अस्पष्टता की स्थिति में लाभ विषय/निर्धारिती को जाना चाहिए, विभिन्न स्थितियों की कल्पना करने के लिए आवश्यक हो सकता है। के लिए

किसी मांग को उठाने और उचित ठहराने से पहले शर्तों को स्थापित करें। इसी तरह सभी व्यक्तियों को कर के दायरे में लाने का मामला है, जिस स्थिति में राज्य को व्यक्तियों के दायित्व को साबित करना है, जो सख्त नियमों के तहत उत्पन्न हो सकता है। कानून की भाषा। कर के विषय या कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की पहचान करने में कोई निहित अवधारणा नहीं हो सकती है। यही कारण है कि अक्सर यह कहा जाता है कि विषय पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, जब तक कि कानून के शब्द स्पष्ट रूप से उस पर कर नहीं लगाते हैं, कि किसी को केवल स्पष्ट रूप से बताए गए शब्दों को देखना होगा और कर के रूप में किसी भी इरादे या अनुमान के लिए कोई जगह नहीं है। यह केवल कानून का पत्र है और कानून की भावना नहीं है जो दुभाषिया को किसी भी कठिनाई को नजरअंदाज करते हुए और कराधान में समानता से बचने के लिए कर के दायित्व का निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार, हम दृढ़ता से दोहरा सकते हैं कि यदि अस्पष्टता की स्थिति में

कराधान देयता कानून, लाभ विषय/निर्धारिती को जाना चाहिए। लेकिन, ऐसी स्थिति में जहां कर छूट की व्याख्या की जानी चाहिए, संदेह का लाभ राजस्व के पक्ष में जाना चाहिए, उपरोक्त निष्कर्षों को केवल हमारे निष्कर्ष के लिए न्यायशास्त्र के आधार को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक प्रस्तावना के रूप में समझाया जाता है। अब हम उन निर्णयों पर विचार कर सकते हैं जो हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

44. हंसराज गोरधनदास मामले (उपरोक्त) में, संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि कराधान से छूट की अनुमति पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा के आधार पर दी जानी चाहिए और छूट को आवश्यक निहितार्थ या शब्दों के निर्माण से एकत्र नहीं किया जा सकता है; दूसरे शब्दों में, किसी को केवल भाषा को देखना होगा और छूट देने का उद्देश्य और उद्देश्य अप्रासंगिक और महत्वहीन है।

45. पार्ले निर्यात मामले (उपरोक्त) में, इसके दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या गैर-मादक पेय आधार जैसे स्पॉट बेस, लिम्का बेस और थम्प्स अप बेस को केंद्र सरकार की मार्च की अधिसूचना के तहत शुल्क के प्रवेश से छूट दी गई थी। इस मुद्दे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने पूर्व के लिए एक अधिसूचना की व्याख्या में पालन किए जाने वाले सख्त ढोंग की ओर इशारा कियाआयन। ये टिप्पणियां निर्णय के पैरा 17 में की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

" फिर अदालतों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अनुसूची और छूट के लिए अधिसूचना में अभिव्यक्तियों को संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उसमें नियोजित भाषा से समझा जाना चाहिए। जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं। प्रावधान, कर लगाने या छूट देने में उपयोग किए गए शब्दों को इसमें समझा जाना चाहिए

जिस तरह से इन्हें उस क्षेत्र में सामान्य बोलचाल में समझा जाता है जिसमें कानून लागू है या उन लोगों द्वारा जो सामान्य रूप से उनके साथ व्यवहार करते हैं। तथापि, कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस मामले में अधिसूचना केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 8 के तहत जारी की गई थी और इसे अधिनियम के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अधिसूचना को अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। जब कोई अधिसूचना क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार जारी की जाती है, तो इसकी वैधानिक शक्ति और वैधता होती है और इसलिए, इसके तहत छूट

अधिसूचना ऐसा है जैसे कि यह अधिनियम में ही निहित था। इस संबंध में ओरिएंट वीविंग मिल्स में इस न्यायालय की टिप्पणियों को देखें।

(पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ, 1962 पूरक 3 एस. सी. आर. 481 = ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 98। कैलाश नाथ बनाम भी देखें। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 790। यह सिद्धांत अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब किसी अधिसूचना के दो विचार संभव हैं, तो इसे विषय के पक्ष में समझा जाना चाहिए क्योंकि अधिसूचना एक राजकोषीय अधिनियम का हिस्सा है। लेकिन इस संबंध में, कोरोलिन एम. आर्मेटिज बनाम में न्यायिक समिति की टिप्पणियों को याद रखना अच्छा है। फ्रेडरिक विल्किंसन, (1878) 3 एसी 355, कि यह केवल, हालांकि, किसी विशेष अधिनियम के अर्थ का पता लगाने में वास्तविक कठिनाई होने की स्थिति में है कि सख्ती या निर्माण की उदारता का सवाल उठता है। न्यायिक समिति ने पृष्ठ 369 पर उक्त निर्णय में दोहराया

रिपोर्ट कि एक कराधान अधिनियम में कराधान के सामान्य नियम के अपवाद को अधिनियमित करने वाले प्रावधानों को [2018] 7 एस. सी. आर. के खिलाफ सख्ती से समझा जाना है।

जो इसके लाभ का आह्वान करते हैं। छूट की व्याख्या करते समय

खंड, उसकी भाषा की उदार व्याख्या की जानी चाहिए, बशर्ते कि नियोजित भाषा के साथ कोई हिंसा नहीं की गई हो। हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इसके बेतुके परिणाम

निर्माण से बचना चाहिए।

उपरोक्त परिच्छेद में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने कहा कि "जब किसी अधिसूचना के दो विचार संभव हैं, तो इसका अर्थ इन रूप में लगाया जाना चाहिए:

अधिसूचना के रूप में विषय का पक्ष लेना राजकोषीय दस्तावेज का हिस्सा है। यह अवलोकन इस दृष्टिकोण का समर्थन करता प्रतीत हो सकता है कि एक में अस्पष्टता

छूट के लिए अधिसूचना की व्याख्या विषय के लाभ के लिए की जानी चाहिए /

मूल्यांकनकर्ता। हालाँकि, पूरे पैरा को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह पता चलता है कि कर के सामान्य नियम के अपवाद को उन लोगों के खिलाफ सख्ती से समझा जाना चाहिए जो अपने लाभ के लिए आह्वान करते हैं। वुड पेपर्स लिमिटेड मामले में बाद के निर्णय में यह समझाया गया था।

(ऊपर)। पैरा 6 में इसे इस प्रकार देखा गया था:

" ..... केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर बनाम। पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड, (1989)

1 एस. सी. सी. 345, इस न्यायालय ने यह स्वीकार करते हुए कि छूट खंड का अर्थ उदारता से लगाया जाना चाहिए, निर्धारित करने के लिए कठोर परीक्षण लागू किया यदि -

गोल्ड स्पॉट बेस या थम्स अप बेस के लिम्का बेस जैसी महंगी वस्तुओं को खाद्य उत्पादों और खाद्य तैयारी की अभिव्यक्ति में शामिल किया गया था जिसका उपयोग केंद्र की पहली अनुसूची की वस्तु संख्या 68 में किया गया था। एक्साइज एंड
सॉल्ट एक्ट और यह अभिनिर्धारित किया कि यह स्पिरिट और विचाराधीन अधिसूचना के तहत गैर-मादक पेय के आधार पर छूट देने के लिए कानून के कारण के अनुरूप नहीं होना चाहिए। तर्क या अनुपात समान है। प्रयोज्यता के स्तर पर दायरे का विस्तार या विस्तार न करें। लेकिन एक बार जब उस बाधा को पार कर लिया जाता है तो इसे उदारता से समझें। चूँकि प्रत्यर्थी अधिसूचना के पहले खंड में नहीं आता था, इसलिए खंड को एक उदार निर्माण देने और उत्तरदाता द्वारा माल के उस उत्पादन को अभिनिर्धारित करने का कोई सवाल ही नहीं था।

अधिसूचना लाभ के हकदार थे।

46. उपरोक्त निर्णय, जो इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ का भी निर्णय है, ने पहली बार यह विचार रखा कि छूट के प्रावधानों के उदार और सख्त निर्माण को इसकी व्याख्या के विभिन्न चरणों में लागू किया जाना चाहिए। यह प्रश्न कि क्या कोई विषय अधिसूचना में आता है या छूट खंड में आता है, का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। जब एक बार अस्पष्टता या संदेह की प्रयोज्यता की व्याख्या करके हल किया जाता है

छूट खंड सख्ती से, न्यायालय ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई v द्वारा अधिसूचना का अर्थ लगा सकता है।

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

व्यापक और उदार निर्माण प्रदान करते हुए पूर्ण खेल देना। पारले निर्यात मामले (ऊपर) का अनुपात निम्नानुसार निकाला गया है:

" प्रयोज्यता के स्तर पर दायरे का विस्तार या विस्तार न करें। लेकिन एक बार जब वह बाधा पार हो जाए, तो इसे उदारता से समझें।

47. इसके विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए, हमें इससे अलग होने का कोई मजबूत और सम्मोहक कारण नहीं मिलता है। हम सम्मानपूर्वक अपना रिकॉर्ड करते हैं

इस दृष्टिकोण की सहमति जिसे बाद में हरि चंद मामले (उपरोक्त) में संविधान पीठ द्वारा विस्तृत किया गया है।

पहले की तरह, उसी की पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है। अतः उपरोक्त निर्णयों से विधि की निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट होगी। कराधान से छूट देने से कर दाताओं के अन्य गैर-छूट प्राप्त वर्ग पर बोझ बढ़ने की प्रवृत्ति है। छूट का दावा करने वाला व्यक्ति, इसलिए, यह स्थापित करना होगा कि उसका मामला पूरी तरह से छूट अधिसूचना के भीतर आता है, और ऐसा करते समय, अस्पष्टता के मामले में विषय के खिलाफ एक अधिसूचना का अर्थ लगाया जाना चाहिए।

49. मैंगलोर केमिकल्स केस (ऊपर) में अनुपात था

नोवोपैन इंडिया लिमिटेड बनाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अनुमोदित। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कलेक्टर, 1994 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 606। इस मामले में, संभवतः पहली बार यह सवाल उठाया गया था कि क्या अस्पष्टता होने पर छूट अधिसूचना का लाभ विषय/निर्धारिती को जाना चाहिए। अंग्रेजी और भारतीय मामलों की पृष्ठभूमि में, पैरा 16 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय दिया:

" हालाँकि, हमारी राय है कि, सैद्धांतिक रूप से, मैंगलोर केमिकल्स में इस न्यायालय का निर्णय-और भारत संघ बनाम।

लकड़ी के कागजात, जिनका उसमें उल्लेख किया गया है-कानून के सही दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सिद्धांत कि अस्पष्टता के मामले में, एक कर कानून को निर्धारिती के पक्ष में माना जाना चाहिए-यह मानते हुए कि उक्त सिद्धांत अच्छा और सही है-एक अपवाद या छूट देने वाले प्रावधान के निर्माण पर लागू नहीं होता है, उन्हें होना चाहिए

सख्ती से समझाया गया। एक व्यक्ति जो उसे कर देयता से मुक्त करने के लिए एक अपवाद या छूट प्रावधान का आह्वान करता है, उसे स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना चाहिए कि वह उक्त प्रावधान के दायरे में आता है। संदेह के मामले में या

अस्पष्टता, इसका लाभ राज्य को मिलना चाहिए। "

50. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य, (2005) 4 एस. सी. सी. 272, जो कि दो अन्य हैं-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय, इस न्यायालय ने रखा छूट अधिसूचना के संबंध में पात्रता खंड को सख्त अर्थ दिया जाना चाहिए और पैरा 44 में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था -

" यह सिद्धांत कि राजकोषीय क़ानून का कोई प्रावधान अस्पष्ट होने की स्थिति में ऐसा निर्माण जो निर्धारिती के पक्ष में हो सकता है -

स्वीकृत, छूट अधिसूचना के निर्माण के लिए कोई आवेदन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मामले में यह दिखाना निर्धारिती का काम है कि वह छूट के दायरे में आता है (नोवोपन इंडिया लिमिटेड v. देखें। सीसीई और सीमा शुल्क) "।

51. हरि चंद मामले (उपरोक्त) में, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, सवाल यह था कि क्या छूट का दावा करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है

लाभ प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें। प्रस्तुत किया गया और तय किया गया सवाल वास्तव में अलग था। उक्त निर्णय, जिस पर हमने पहले ही चर्चा की है, हालांकि, यह इंगित करता है कि छूट अधिसूचना का अर्थ लगाते समय, न्यायालय को उन शर्तों में अंतर करना होगा जिनके लिए सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती है, जिसका पालन न करने से निर्धारिती छूट का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाएगा और जिनके लिए छूट के हकदार होने के लिए पर्याप्त अनुपालन की आवश्यकता होती है। हम इस निर्णय में खोजी गई कानूनी स्थिति के बारे में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए इस पहलू की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर पैरा 50 में पहले ही समाप्त किया जा चुका है, हम दोहरा सकते हैं कि हम इस मामले में केवल ऐसी स्थिति से संबंधित हैं जहां छूट अधिसूचना या छूट खंड में अस्पष्टता है, ऐसी स्थिति में इस सिद्धांत को लागू करके इस तरह की अस्पष्टता का लाभ विषय/निर्धारिती को नहीं दिया जा सकता है कि एक अस्पष्ट और/या अस्पष्टता या संदिग्ध वित्तीय क़ानून को निर्धारिती के पक्ष में एक निर्माण प्राप्त करना चाहिए। दोनों स्थितियाँ अलग-अलग हैं और छूट अधिसूचना पर विचार करते समय, अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

52. संक्षेप में, हम संदर्भ धारण का उत्तर इस प्रकार देते हैं - (1) छूट अधिसूचना की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए; प्रयोज्यता साबित करने का बोझ निर्धारिती पर यह दिखाने के लिए होगा कि उसका मामला छूट खंड या छूट अधिसूचना के मापदंडों के भीतर आता है।

(2) जब छूट अधिसूचना में अस्पष्टता होती है जो सख्त व्याख्या के अधीन होती है, तो इस तरह की अस्पष्टता का लाभ विषय/निर्धारिती द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है और इसकी व्याख्या निम्न में की जानी चाहिए:

राजस्व का लाभ।

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई

v.

एम/एस। दिलीप कुमार और कंपनी और

ओआरएस। [एन. वी. रमना, जे.]

(3) सूर्य निर्यात मामले (ऊपर) में अनुपात सही नहीं है और सूर्य निर्यात मामले (ऊपर) में समान दृष्टिकोण रखने वाले सभी ए निर्णय समाप्त हो गए हैं।

53. तत्काल दीवानी अपील को अब भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने के बाद गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जा सकता है।

कल्पना के. त्रिपाठी